Con. 3. VII.6.48
350

अंक 7
संख्या 6

सोमवार,
15 नवम्बर,
सन् 1948 ई.

# भारतीय विधान-परिषद्

## के

## वाद-विवाद

## की

## सरकारी रिपोर्ट

**( हिन्दी संस्करण )**

---

**विषय-सूची**

पृष्ठ

1. प्रतिज्ञा-ग्रहण तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर..... 453

2. विधान का मसौदा–( *जारी*) [अनुच्छेद 1 पर विचार]..... 453

# भारतीय विधान-परिषद्

**सोमवार, 15 नवम्बर सन् 1948 ई.**

---

*भारतीय विधान-परिषद् की बैठक प्रातः दस बजे कान्स्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में समवेत हुई।*
*उपाध्यक्ष महोदय (डा. एच.सी. मुकर्जी) अध्यक्ष पद पर आसीन थे।*

---

## प्रतिज्ञा-ग्रहण तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर

निम्नलिखित सदस्य ने प्रतिज्ञा ग्रहण की और रजिस्टर पर हस्ताक्षर किये:

1. श्री पी.एस. नटराज पिल्ले (ट्रावनकोर)

---

## विधान का मसौदा–(*जारी*)

***उपाध्यक्ष** (डा. एच.सी. मुकर्जी): मौलाना हसरत मोहानी।

***मौलाना हसरत मोहानी** (संयुक्तप्रान्त : मुस्लिम): श्रीमान्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 6 नवम्बर को मैंने इस संशोधन की सूचना दी थी:

> ''विधान के मसौदे के एक-एक खण्ड पर विचार उस समय तक के लिये स्थगित किया जाये जब तक कि अन्तिम रूप से यह न निश्चय हो जाये कि निम्नलिखित तीन शब्द-समूहों में से कौन सा शब्द-समूह प्रस्तावना में सम्मिलित किया जाये:
>
> 'Sovereign Independent Republic (सर्वसत्ताधारी स्वतंत्र गणराज्य)'
> 'Sovereign Democratic Republic (सर्वसत्ताधारी जनतंत्रात्मक गणराज्य)'
> 'Sovereign Democratic State (सर्वसत्ताधारी जनतंत्रात्मक राज्य)'

अभी इसका निश्चय नहीं हुआ है कि इसमें से कौन सा शब्द-समूह विधान में सम्मिलित किया जायेगा। परन्तु मुझे ज्ञात हुआ है कि कांग्रेस-दल ने विधान के एक-एक खण्ड पर विचार करने का निश्चय कर लिया है, यद्यपि इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न का निर्णय नहीं हुआ है कि प्रस्तावना में गणराज्य रखा जाये या राज्य।

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[मौलाना हसरत मोहानी]

मेरी एक शिकायत है। आपके दफ्तर को जिन संशोधनों की सूचना दी गई थी, वे छप गये हैं, परन्तु मेरा संशोधन छोड़ दिया गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि वह क्यों छोड़ दिया गया?

***उपाध्यक्ष:** मेरे विचार से वह कार्य-प्रणाली के अनुरूप न होने के कारण ही छोड़ दिया गया। इसके अतिरिक्त वह नियमानुकूल भी नहीं है। मुझे बताया गया है कि कामन्स सभा में प्रस्तावना पर अन्त में विचार होता है। इससे मेरा निर्णय और भी सुदृढ़ हो जाता है।

***मौलाना हसरत मोहानी:** श्रीमान्, क्या मैं एक बात बता सकता हूं? पहले एक बार जब मैंने ऐसा ही प्रस्ताव उपस्थित किया था, तो विधान-परिषद् के अध्यक्ष महोदय ने यह निश्चय किया था और यह निर्णय सुनाया था कि मेरा संशोधन, जो उसी आशय का था जैसा कि मैंने आज प्रस्तुत किया है, नियमानुकूल है। इस बारे में उनकी व्यवस्था बड़ी स्पष्ट थी। सरकारी रिपोर्ट में उनके जो शब्द छपे हुये हैं, उन्हें मैं यहां पढ़कर सुना देता हूं:

''मेरे विचार से यह संशोधन नियमानुकूल है। सभा को इसकी स्वतंत्रता है कि वह इसे अस्वीकार कर दे।'' इसलिये इस संशोधन को प्रस्तुत करने का मुझे पूर्ण अधिकार है। यह बात अवश्य सभा पर निर्भर करती है कि वह उसे स्वीकार करे या अस्वीकार करे। इसलिये मैं यह कहता हूं कि इस बात को तो अध्यक्ष महोदय ने तय कर दिया है। यदि आप चाहें तो अध्यक्ष महोदय से पूछ सकते हैं कि यह ठीक निर्णय है, या नहीं।

इसके अतिरिक्त जब जुलाई में संघीय विधान-सभा के सम्मुख उपस्थित किया गया था, तो उस अवसर पर भी मैंने इसी प्रकार की आपत्ति की थी और उस समय भी विधान-परिषद् के अध्यक्ष महोदय ने यह स्पष्ट व्यवस्था दी थी कि मेरे संशोधन को नियम-प्रतिकूल नहीं ठहराया जा सकता। यदि आप चाहें, तो मैं उनके ही शब्दों को पढ़ दूंगा। उन्होंने कहा था:

''मैं वचन देता हूं कि जब कभी आप इस आशय के संशोधन को उपस्थित करेंगे, वह नियम-प्रतिकूल नहीं ठहराया जायेगा''

इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरा संशोधन नियम प्रतिकूल न घोषित किया जाये, क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने अन्तिम रूप से यह निर्णय कर दिया है

कि मेरे संशोधन के उपस्थित किये जाने के लिये आज्ञा दी जाये। निस्संदेह सभा को इसकी स्वतंत्रता है कि वह उसे स्वीकार करे या अस्वीकार करे। यही पिछले अवसर पर हुआ था, जब पंडित नेहरू ने संघीय विधान को उपस्थित किया था। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पंडित नेहरू के स्थान पर आज डा. अम्बेडकर हैं। मेरे विचार से उन्होंने सारे कार्यक्रम को उलट दिया है। मेरा यह निवेदन है कि मुझे इसका पूरा अधिकार है कि मैं आपसे प्रार्थना करूं कि आप मेरे अधिकारों की रक्षा करें और यह अवसर प्रदान करें कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूं, उसके लिये अपने कारण भी दे सकूं। निस्संदेह यदि सभा मेरे संशोधन को स्वीकार न करना चाहे, तो वह उसे गिरा सकती है, जैसा कि उसने पिछली बार भी किया था। परन्तु मेरे विचार से मुझे इस प्रकार निरुत्साह न किया जाना चाहिये। किसी भी संशोधन को उपस्थित करने के मेरे अधिकार की रक्षा होनी चाहिये।

***उपाध्यक्षः** मेरी सम्मति में यह बात कि आपको संशोधन पेश करने का अधिकार है और यह बात कि प्रस्तावना पर किस समय विचार किया जाये, एक दूसरी से सर्वथा भिन्न है। मेरी यह व्यवस्था है कि प्रस्तावना को विचार के लिये हम सर्वप्रथम न लेंगे और यह व्यवस्था इस बारे में अन्तिम है।

अब हम विधान के मसौदे के एक-एक खंड पर विचार करेंगे।

**श्री अलगू राय शास्त्री** (संयुक्तप्रान्तः जनरल): अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि आप इस विधान को लें, मैं एक जरूरी बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज्ञा हो, तो मैं कहूं?

***उपाध्यक्षः** कृपा करके माइक (ध्वनि-प्रसारक यंत्र) पर आइये।

**श्री अलगू राय शास्त्रीः** अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि इधर दो-तीन दिन हुये, अखबारों में निकला है कि सिन्ध असेम्बली के बहुत से हिन्दू मेम्बर वहां से अलग कर दिये गये हैं, इसलिये कि वहां से बहुत से सिन्धी सिन्ध को छोड़कर हिन्दुस्तान चले आये हैं। जो लोग यहां आ गये हैं, उनकी तादाद लगभग 14 लाख के करीब मालूम होती है और इसलिये यह आवश्यक मालूम होता है कि इस तरह से जो सिन्ध के भाई अपना स्थान छोड़ने के लिये विवश किये गये हैं और अपना घर छोड़कर वह यहां चले आये हैं, उनका कोई न कोई प्रतिनिधित्व इस असेम्बली में होना चाहिये। हम संविधान बनाने जा रहे हैं, समस्त भारत का। उस संविधान में उन भाइयों का, जिन्हें इस प्रकार अपना घर छोड़ना पड़ा है, कोई न कोई प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। मैं यह चाहता हूं

[श्री अलगू राय शास्त्री]

कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाये, जिससे सिन्ध के वह लोग जो यहां पर चले आये हैं, उनका प्रतिनिधित्व इस सभा में हो। यदि आप आज्ञा दें, तो हम बाजाब्ता प्रस्ताव इस तरह का पेश करें कि जिससे उनका प्रतिनिधित्व यहां हो सके।

***उपाध्यक्षः** इस प्रश्न पर यहां विचार नहीं हो सकता।

यह प्रतीत होता है कि कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में मैंने एक गलती की है। मुझे इस समय यह कहना है कि अनुच्छेद 1 विधान का अंग समझा जाये।

मेरे विचार से इस विषय पर हमारे मित्र श्री आयंगर कुछ कहना चाहते हैं। संशोधनों के सम्बन्ध में वे कुछ सुझाव उपस्थित करना चाहते हैं।

## अनुच्छेद 1

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर** (मद्रास : जनरल): श्रीमान्, मेरा यह निवेदन है कि 83 से लेकर 96वें संशोधन तक के बारे में विचार-विमर्श स्थगित किया जाये। उनका सम्बन्ध नामों के पर्याय अथवा बहुत-कुछ नामों के स्थानान्तरण से है; अर्थात् इससे कि अनुच्छेद 1 के खण्ड (1) में 'इण्डिया' शब्द की जगह 'भारत' 'भारतवर्ष' 'हिन्दुस्तान' रखा जाये।

इस बारे में कुछ विचार की आवश्यकता है। आपके द्वारा मैं इस सभा से प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके कुछ समय के लिये इन संशोधनों पर विचार स्थगित कर दिया जाये। कुछ ही दिनों बाद जब हम प्रस्तावना को उठायेंगे, तो इन संशोधनों पर उस समय विचार हो सकता है। मैं 83 से 96 तक के संशोधनों और 97वें संशोधन की ओर संकेत कर रहा हूं, जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 1 के खण्ड (1) में ''इण्डिया'' शब्द की जगह ''भारत (इण्डिया)'' शब्द और ''स्टेट्स'' की जगह ''प्राविंसेज'' शब्द रखा जाये।

इसलिये मेरी यह इच्छा है कि इन सब पर विचार स्थगित किया जाये।

***उपाध्यक्षः** क्या सभा इससे सहमत है?

***श्री लोकनाथ मिश्र** (उड़ीसा : जनरल): श्रीमान्, यदि आप इन संशोधनों पर विचार-विमर्श दो या तीन दिन के लिये स्थगित कर दें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि मेरे नाम से

जो संशोधन 85 है, उसका उद्देश्य केवल 'इंडिया' का नाम बदलकर 'भारतवर्ष' रखना नहीं है, किन्तु कुछ और भी है। मुझे इसकी आशंका है कि यदि आप इस संशोधन पर विचार स्थगित करेंगे, तो आगे चलकर वह अप्रासंगिक प्रतीत होगा। मैं यह निवेदन करता हूं कि मुझे इस संशोधन को उपस्थित करने दिया जाये। निस्सन्देह ''इंडिया'' का नाम ''भारतवर्ष'' रखने के सम्बन्ध में मैं जोर नहीं दूंगा। यद्यपि मैं इस समय नाम परिवर्तन पर जोर नहीं दे रहा हूं, मैं निवेदन करता हूं कि मुझे इस संशोधन का दूसरा भाग उपस्थित करने दिया जाये।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर:** मेरी यह प्रार्थना थी कि केवल नाम सम्बन्धी संशोधनों पर विचार स्थगित किया जाये, परन्तु इस मामले में इस आश्वासन के साथ कि ''इंडिया'' शब्द की जगह कोई दूसरा शब्द रखा जाये, वे अपने संशोधन का दूसरा भाग उपस्थित कर सकते हैं। मैं इसके लिये नहीं कह रहा हूं कि इस संशोधन का दूसरा भाग उपस्थित न किया जाये।

***उपाध्यक्ष:** इसलिये माननीय सदस्य उचित अवसर पर अपने संशोधन का दूसरा भाग उपस्थित कर सकते हैं।

अब हम संशोधनों पर विचार करेंगे। संशोधन संख्या 98 प्रोफेसर के.टी. शाह के नाम से है।

***प्रो. के.टी. शाह** (बिहार : जनरल): श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि:

''अनुच्छेद 1 के खण्ड (1) में, 'Shall be a' शब्दों के बाद 'Secular, Federal, Socialist' (असाम्प्रदायिक, संधानीय, समाजवादी) शब्द रखे जाये।''

संशोधित अनुच्छेद अथवा खण्ड इस प्रकार हो जायेगा:

''India shall be a Secular, Federal, Socialist Union of States. (भारत असाम्प्रदायिक, संधानीय समाजवादी राज्य संघ होगा।)''

सभा के सामने यह प्रस्ताव उपस्थित करते हुए पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रस्तावना पर इस समय विचार न करने के सम्बन्ध में जो निर्णय किया

[प्रो. के.टी. शाह]

गया है, उसके कारण उन लोगों के लिये कुछ कठिनाई उत्पन्न हो गई है, जो कुछ विशेष खण्डों में संशोधन करके अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को विधान में व्यक्त रूप से स्थान देना चाहते हैं। इस कारण से जैसा हम सबको विदित है, खण्डों की कानूनी बनावट सर्वदा बड़ी परिसीमित रूप की होती है। यदि विधान के मसौदे में सन्निहित निर्देशक आदर्शों पर विचार करना सम्भव होता, तो इन प्रस्तावों के औचित्य पर ही विचार करना आसान न होता, बल्कि उन पर इस दृष्टि से भी विचार करना आसान होता कि वे उन आदर्शों के अनुरूप है, या नहीं, जो उस प्रस्तावना में सन्निहित हैं, जिसे कि स्वीकार किया गया है।

अब जैसी भी बात है, उसको ध्यान में रखकर मैं यह कहने के लिये उत्कण्ठित हूं कि मैंने यह संशोधन इसी विचार से सुझाया है कि इसमें वास्तविकता के दिग्दर्शन के साथ-साथ उस आदर्श की भी झलक है, जिसके बारे में उसे भरोसा है कि वह शीघ्र ही हमारे जीवन में वास्तविकता का रूप धारण कर लेगा। इस संशोधन द्वारा मेरा यह प्रयास है कि हमारे राज्य अथवा संघ की व्याख्या में तीन शब्द जोड़ दिये जायें, अर्थात् नया संघ संधानीय, असाम्प्रदायिक समाजवादी राज्य-संघ होगा।

इस सिलसिले में यदि मैं यह भी कह दूं, तो अनुचित न होगा कि संविधान के प्रारूप में परिभाषा देने वाली किसी धारा के न होने के कारण हमारा कार्य अत्यन्त कठिन हो गया है। क्योंकि ऐसे शब्द जैसे 'राज्य' एक अनुच्छेद से लेकर दूसरे अनुच्छेद तक कई अर्थों में प्रयुक्त हैं और एक ही शब्द के कई अर्थ लगाना और कभी-कभी स्वविरोधात्मक अर्थ लगाना कोई आसान काम नहीं है। वर्तमान प्रसंग में मैं समझता हूं कि 'संघ' शब्द का अर्थ राज्य-समूह है; अर्थात् स्वयं एक नया राज्य और मेरे संशोधन के अनुसार वह एक संधानीय, असाम्प्रदायिक, समाजवादी, राज्य होगा।

पहले मैं ''संधानीय'' शब्द को लूंगा। इस शब्द का अर्थ यह है कि यह एक संघ है, जिसका तात्पर्य है कि यह एकात्मक राज्य नहीं है क्योंकि; इसके अंग, जो विधान के मसौदे में राज्य कहकर वर्णित हैं, समान रूप से संघ के अंग तथा सदस्य है; और उनके निश्चित अधिकार, निश्चित शक्तियां और निश्चित कार्य है और यद्यपि यह आवश्यक नहीं कि ये परस्पराच्छादित हों, तथापि ये बहुधा संघ या संघीय सरकार को दी हुई शक्तियों और प्रकार्यों के समवर्त्ती होती हैं। अत:

मैं तो यह समझता हूं कि हम ऐसा प्रयास करें, जिससे कि उस नये राज्य अथवा संघ के बारे में, जिसे हम भारत-संघ के नाम से पुकारा करेंगे, एतद्पश्चात् कोई मिथ्या धारणा न फैले और न उसकी भ्रमात्मक व्याख्या हो।

ताकि ''संघ'' शब्द से कोई यह न समझे कि यह एकात्मक शासन है, मैं पहले ही अनुच्छेद में, पहले अनुच्छेद के पहले ही खण्ड में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह ''संधानीय संघ'' है, ''संधानीय'' शब्द से संधान के अंगभूत राज्यों के समान अभिसमय-आश्रित संविदाजन्य पार्षद का बोध होता है। मेरा निवेदन है कि यदि परिस्थिति की समानता न हो और संघ के सदस्यों के बीच भेदभाव बरता जाये, तो संधान ही न बन सकेगा और संघ उस मात्रा में सशक्त न हो सकेगा, जिस मात्रा में उसके कुछ राज्य उसी के दूसरे राज्यों की अपेक्षा कम शक्ति रखते हैं। यदि अन्य सदस्यों की अपेक्षा कुछ सदस्य कम शक्तिशाली हों, तो मेरा निवेदन है कि संघ की शक्ति सबसे शक्तिशाली सदस्य की शक्ति से बढ़ने के बजाय सबसे अशक्त सदस्य के कारण परिसीमित हो जायेगी। इसलिये सभी सदस्यों की परिस्थिति, शक्तियों और प्रकार्यों की समानता आवश्यक है और इस संशोधन में ''संधानीय'' शब्द जोड़कर मैंने इसी बात का आश्वासन देने की चेष्टा की है।

जहां तक मुझे स्मरण है भारत के इस नवीन राज्य को संधानीय घोषित करने के लिये यह शब्द विधान में कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है और मेरे विचार से इस शब्द को रखने के लिये यह सर्वोचित स्थान है और ऐसा करने से एतद्पश्चात् इस बारे में किसी भ्रम अथवा मिथ्या बोध के लिये कोई स्थान न रहेगा।

अब जहां तक राज्य के असाम्प्रदायिक होने का प्रश्न है, प्रत्येक मंच से हमें यह बताया गया है कि हमारा राज्य असाम्प्रदायिक है। यदि यह बात सच है और आज भी मान्य है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस शब्द को विधान में क्यों न स्थान दिया जाये जिससे, मिथ्याबोध की आशंका न रह जाये। मैं इससे सहमत हूं कि ''असाम्प्रदायिक'' शब्द उन विधानों में प्रयुक्त नहीं हुआ है, जिस पर हमारा विधान आधृत है। परन्तु प्रत्येक विधान अपने यहां के लोगों के पूर्व इतिहास को दृष्टि में रख कर बनाया जाता है। यद्यपि यह सत्य है कि एक राज्य

[प्रो. के.टी. शाह]

का दूसरे राज्य से विभेद प्रकट करने के लिये इस प्रकार का रस्मी अथवा स्पष्ट वर्णन उसके संविधान में नहीं दिया जाता है और न इस प्रकार का वर्णन हमारे राज्य के विशिष्ट रूप के प्रति खासतौर से व्यक्त करने के लिये ही दिया गया है, किन्तु मेरी सम्मति में यह कोई ऐसी बात नहीं है, जिसके कारण हम इस घड़ी में, जबकि हम अपना संविधान बना रहे हैं, अपने राज्य की इस प्रकार की स्पष्ट परिभाषा अपने संविधान में न।

पिछले वर्ष की तथा उससे पूर्व की दु:खद घटनाओं को तथा धर्म, सम्प्रदाय तथा पंथ के हेतु होने वाले अत्याचारों को ध्यान में रखने के कारण ही यह आवश्यक नहीं है कि राज्य के असाम्प्रदायिक रूप का विशेष उल्लेख किया जाये, वरन् ऐसा करने मैं उस राज्य के स्वरूप तथा मूलभूत गुणों को भी स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, जिसे हम आज बना रहे हैं और जो सारे लोगों को, अपने प्रत्येक जानपद को इस बात का आश्वासन देगा कि देश के शासन से सम्बद्ध सब विषयों में तथा मनुष्य-मनुष्य के परस्पर व्यवहार में तथा जानपद और राज्य के परस्पर व्यवहार में वस्तुस्थिति का शुद्ध स्वरूप ही उनकी दृष्टि में निर्णायक तथ्य होगा अर्थात् इन बातों के सम्बन्ध में हमारे रहन-सहन, हमारे जीवन, हमारी कार्यशक्ति का निश्चयन तथा परिसीमन करनेवाली भौतिक बातों को ही ध्यान में रखा जायेगा तथा इस क्षेत्र में किन्हीं अन्य तथा असंगत विचारों के आधार पर कार्य न किया जायेगा और न किसी अनाधिकारी को इसमें हस्ताक्षेप ही करने दिया जायेगा, जिससे कि मानवों के पारस्परिक सम्बन्धों में, जानपद तथा राज्य के पारस्परिक सम्बन्धों में, राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों में उन अन्य विचारों का कोई भी प्रभाव न पड़े, जिनसे कि इन विभिन्न जानपदों के बीच में अन्याय अथवा असमानता पैदा होती हे, जोकि सामूहिक रूप में भारत के लोक कहे जाते हैं।

अन्त में ''समाजवादी'' शब्द है। मैं इस बात से परिचित हूं कि वर्तमान भारतीय राज्य का समाजवादी संघ कहकर वर्णन करना ठीक नहीं होगा। मैं यह समझता हूं कि वह अभी समाजवादी नहीं है, चाहे फिर उसका और कोई भी रूप क्यों न हो। परन्तु हम यहां अपनी एक आकांक्षा को प्रकट क्यों न करें, जो मैं समझता हूं कि मेरी ही नहीं है बल्कि इस सभा में अन्य सदस्यों की भी है। और वह यह है कि आज नहीं तो शीघ्र ही कुछ समय बाद हमारे राज्य के आकार-प्रकार में परिवर्तन होगा और ऐसा आधारभूत, संतोषजनक तथा प्रभावपूर्ण परिवर्तन होगा कि देश सच्चे अर्थ में राज्यों का समाजवादी संघ हो जायेगा।

मैं यह जानता हूं कि कई ऐसे लोग हैं, जो 'समाजवादी' शब्द से भयभीत हो जाते हैं, जो इसकी परीक्षा नहीं करते कि उसका प्रभाव क्या होगा या यह समझने का प्रयत्न नहीं करते कि वह किन बातों के लिये और किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। वे लोग 'समाजवादी' शब्द को, यदि कोई उसे व्यवहार में लाये तो गाली का ही पर्याय समझते हैं और इसलिये वे उसकी ध्वनि से ही, उसके नाम से ही भयभीत हो जाते हैं और उसका विरोध करने लगते हैं। मैं जानता हूं कि यदि कोई व्यक्ति समाजवाद का प्रतिपादन करे या यदि कोई खुले आम समाजवादी हो तो उसे वे निकृष्ट समझते हैं और एक क्षण के लिये भी उसकी बातों पर विचार नहीं करते।

***सेठ गोविन्द दास** (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): यह बिल्कुल गलत है।

***प्रो. के.टी. शाह:** मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यदि कुछ मित्रों ने जो आश्वासन दिया है, वह ठीक है, तो सभा को इस संशोधन को स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होनी चाहिये। मुझे विश्वास है कि वे मित्र, जिन्होंने इस बात को बड़े जोर से कहा है, इस सभा में अन्य सदस्यों को भी दलजनित बाधाओं की चिन्ता न करने के लिये प्रोत्साहित करेंगे और राज्य का इस प्रकार आशाप्रद तथा उत्साहवर्धक वर्णन करने में मेरा समर्थन करेंगे।

मैं यहां एकत्रित अपने मित्रों को आश्वासन देना चाहता हूं कि इन संशोधन में 'समाजवादी' शब्द का यही आशय है कि हमारा एक ऐसा राज्य होगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के प्रति न्याय-समता तथा अवसर-समता होगी और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जायेगी कि वह अपने परिश्रम से, अपने बुद्धिबल से और अपने कार्य से राज्य की यथाशक्ति सेवा करेगा और प्रत्येक व्यक्ति को यह आश्वासन मिलेगा कि एक सभ्य जीवन-स्तर को बनाये रखने के लिये उसकी जो भी आवश्यकतायें होंगी, वे पूरी की जायेंगी।

मुझे विश्वास है कि बिना शान्तिपूर्ण और नियमित उन्नति के पथ में बाधा डाले हुये इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि इस शब्द में ऐसी कोई भी ध्वनि नहीं है, जिससे यह आशंका हो कि इसके प्रयोग के कारण ऐसी हिंसात्मक क्रांति हो सकती है, जिससे निहित स्वार्थ नष्ट हो जायेंगे, जो यह समझते हैं कि इस शब्द में न्याय की भावना सन्निहित

[प्रो. के.टी. शाह]

है और जो मेरे इस विचार से सहमत हैं कि भविष्य में समाजवाद का बोलबाला तो होगा ही, साथ ही यह एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें मनुष्य-मनुष्य के बीच में न्याय होगा और विशिष्ट वर्गों के अधिकारों और शोषक वर्गों की सम्पत्ति का शून्यन होगा, उन्हें चाहिये कि वे मेरे इस संशोधन का समर्थन करें। समाजवादी व्यवस्था ही ऐसी है, जिसमें मनुष्य को अपने प्राकृतिक अधिकार मिल सकते हैं और अवसर-समता प्राप्त हो सकती है और उसका जीवन इन कृत्रिम बन्धनों, रीति-रिवाजों, प्रथाओं, कानूनों और आदेशों से नहीं बंध सकता है, जिन्हें उसने अपने ऊपर तथा अपने बन्धुओं के ऊपर स्थिर स्वार्थों के रक्षार्थ आरोपित किया है। यदि इस आदर्श को स्वीकार कर लिया जाये, तो मेरे विचार से इस शब्द को, इस वर्णनात्मक विशेषण को, इस अनुच्छेद में स्थान देने में तथा अपने संघ को समाजवादी राज्य संघ कहने में कोई आपत्ति न होगी।

मुझे केवल एक बात और कहनी है। जैसा कि मैंने आरम्भ में ही कहा था कि यह संशोधन केवल एक शब्द जोड़ने के लिये या कानूनी शब्दावली ठीक करने के लिए या कुछ बातों में परिवर्तन करने के लिये प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि इससे एक आकांक्षा प्रकट होती है और वर्तमान वस्तुस्थिति का वर्णन होता है। विधान के मसौदे में ''shall be (भविष्य बोध 'होगा')'' शब्द है। इन्हीं शब्दों को लेकर मैंने अपना तर्क उपस्थित किया है, क्योंकि इन शब्दों में मुझे एक वचन और एक आशा का बोध होता है, जिसे मैं विनिश्चित तथा परिवर्धित करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि इस सभा के सब सदस्य नहीं, तो कम से कम अधिकांश सदस्य मुझसे सहमत होंगे।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर** (बम्बई : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मैं प्रो. के.टी. शाह के संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता हूं। संक्षेप में मुझे दो आपत्ति करनी हैं। पहले तो, जैसा कि मैंने सभा के सम्मुख प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा था, यह विधान राज्य के विभिन्न अंगों को संचालित करने के लिये एक यंत्र-स्वरूप है। किन्तु यह ऐसा यंत्र नहीं है, जिसके द्वारा कोई विशेष दल अथवा विशेष व्यक्ति ही पदारूढ़ हो सके। राज्य की नीति क्या हो या समाज का आर्थिक तथा सामाजिक संगठन

किस प्रकार का हो, ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें देश और काल को देखकर लोग ही हल कर सकते हैं इनको विधान में स्थान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसका अर्थ होगा जनतंत्र का विनाश। यदि आप विधान में यह कहें कि राज्य के सामाजिक संगठन का एक विशेष स्वरूप होगा, तो मेरे विचार से आप लोगों को इस स्वतंत्रता से वंचित कर रहे हैं कि वे अपने लिये स्वयं ही निश्चित करें कि वे किस प्रकार का सामाजिक संगठन चाहते हैं। आज अधिकांश लोगों के लिये यह समझना बिल्कुल सम्भव है कि समाज का समाजवादी संगठन, पूंजीवादी संगठन से अच्छा है। परन्तु विचारशील लोगों के लिये यह भी सम्भव है कि वे किसी ऐसे सामाजिक संगठन की व्यवस्था करें, जो आज के या कल के समाजवादी संगठन से अच्छा हो। इसलिये मेरे विचार से विधान द्वारा लोगों को एक ही प्रकार की व्यवस्था में रहने के लिये बाध्य करना और उन्हें अपना निश्चय स्वयं करने की स्वतंत्रता न देना उचित न होगा। इस संशोधन का विरोध करने के लिये यह एक कारण है।

दूसरा कारण यह है कि यह संशोधन अनावश्यक है। मेरे माननीय मित्र प्रो. के.टी. शाह ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया है कि मूलाधिकारों के अतिरिक्त हमने कुछ ऐसी धाराओं को प्रविष्ट किया है जिनका विषय राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धान्त हैं यदि मेरे माननीय मित्र भाग 4 के अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, तो उन्हें पता लगेगा कि इस विधान में विधानमण्डल और अधिशासी-वर्ग दोनों का अपनी नीति के सम्बन्ध में कुछ उत्तरदायित्व निश्चित किया गया है। इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 31 ही को पढ़ने से ज्ञात हुआ कि उसमें यह कहा गया है कि:

''विशेषतया राज्य अपनी नीति का ऐसा संचालन करेगा–

(1) कि नर और नारी सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो;

(2) कि समुदाय के भौतिक साधनों का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो कि जिससे सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम अनुसेवन हो;

(3) कि आर्थिक व्यवस्था के चालन का ऐसा परिणाम न हो कि धन और उत्पादन-साधनों का सार्वजनिक अहितकारी संकेन्द्रण हो;

(4) कि पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों को ही समान कार्य के लिये समान वेतन मिले...।''

बहुत कुछ इसी प्रकार की कुछ अन्य बातें भी हैं, मैं प्रोफेसर शाह से यह पूछना चाहता हूं कि यदि ये निदेशक सिद्धान्त, जिनकी ओर मैंने ध्यान दिलाया है, अपने निदेश और अपने विषय की दृष्टि से समाजवादी नहीं है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि समाजवाद है क्या?

[माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर]

इसलिये मेरा निवेदन यह है कि ये समाजवादी सिद्धान्त विधान में सन्निहित हैं और इस संशोधन को स्वीकार करना अनावश्यक है।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, यदि संशोधन को स्वीकार कर लिया गया, तो उस स्थान पर जहां मेरे मित्र इस संशोधन का समावेश चाहते हैं, वहां यह अप्रासंगिक प्रतीत होगा। उन्होंने ''असाम्प्रदायिक और समाजवादी'' शब्दों को जोड़ने का जो सुझाव रखा है, उसके बारे में मेरा यह विचार है कि यदि उनको स्थान दिया जा सकता है, तो प्रस्तावना में ही स्थान दिया जा सकता है। यदि आप इस भाग के शीर्षक को देखें, तो वह ''संघ और उसका राज्यक्षेत्र तथा अधिकार-क्षेत्र'' है। इसलिए इस भाग का सम्बन्ध संघ के राज्य-क्षेत्र तथा अधिकार-क्षेत्र से है और विधान के भविष्य के स्वरूप से नहीं है।

जहां तक ''संघ'' शब्द का सम्बन्ध है, यदि प्रोफेसर शाह ने विधान के मसौदे के पृष्ठ 2 के नीचे लिखी हुई टिप्पणी देखी होती, तो उन्हें मालूम होता कि ''समिति का यह विचार है कि उत्तरी ब्रिटिश अमेरिका में सन् 1867 ई. के ऐक्ट की प्रस्तावना की भाषा का अनुसरण करते हुए भारत का वर्णन संघ संज्ञा से करना अनुचित न होगा। यद्यपि उसका विधान संधानीय क्यों न हो। मेरे सामने उत्तरी ब्रिटिश अमेरिका का विधान भी है। उसमें कहा गया है:

''चूंकि कनाडा, नोवा स्कोशिया ने एक संधान में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट की है,'' परन्तु बाद में ''संधान'' शब्द निकाल दिया गया था और ''संघ'' शब्द रखा गया था। इसी प्रकार हमारे विधान में ''संघ'' शब्द पर, न कि ''संधान'' शब्द पर जोर दिया जाना चाहिये। इतिहास के आदिकाल से ही हमारे राजनैतिक संगठन को विघटित करने की प्रवृत्ति प्रबल रही है और यदि इस प्रवृत्ति को रोकना है, तो इस अनुच्छेद से संधान शब्द को निकाल देना चाहिये।

श्रीमान्, आपको स्मरण होगा कि इस विधान में संधान का आशय सन्निहित है और हमने ''संघ'' इत्यादि के लिये विभिन्न सूचियां निर्धारित की हैं, यदि विधान में यह आशय सन्निहित है तो मेरी समझ में नहीं आता कि संघ के विशेषण के रूप में यह ''संधानीय'' शब्द यहां विशेष रूप से क्यों रखा जाये। इसलिये मैं प्रोफेसर शाह के संशोधन का विरोध करता हूं।

***उपाध्यक्षः** प्रस्ताव यह है कि:

''अनुच्छेद 1 के खण्ड (1) में 'shall be a' शब्दों के बाद 'Secular, Federal, Socialist' (असाम्प्रदायिक, संधानीय, समाजवादी) शब्द रखे जाये।''

*प्रस्ताव गिर गया।*

***उपाध्यक्षः** मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। डा. अम्बेडकर के उत्तर दे देने के बाद मैं अधिक वादानुवाद की आज्ञा नहीं दूंगा। मैं एक बार गलती कर चुका हूं और उसे अब न दुहराऊंगा। (*हंसी*)

***श्री महबूबअली बेग साहब** (मद्रास : मुस्लिम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि:

''अनुच्छेद 1 के खण्ड (1) में 'union (संघ)' शब्द की जगह 'federation (संधान)' शब्द रखा जाये।''

श्रीमान्, आपको स्मरण होगा कि जब डा. अम्बेडकर ने इस विधान के मसौदे पर विचार करने के लिये प्रस्ताव किया और जब वे शासन के स्वरूप की चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था...।

***उपाध्यक्षः** हम इस प्रकार का वादानुवाद नहीं चाहते हैं। मैं माननीय सदस्य महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे यदि कोई नई बात चाहते हों, तो उसी को यहां रखें।

***श्री महबूबअली बेग साहबः** डा. अम्बेडकर ने शासन के स्वरूप की चर्चा करते हुये कहा था कि दो प्रकार की शासन-प्रणालियां हैं। एक एकात्मक शासन-प्रणाली है और दूसरी संधानीय शासन-प्रणाली है।

***श्री के. हनुमनथय्या** (मैसूर): श्रीमान्, मेरा एक औचित्य प्रश्न है। हम अभी प्रोफेसर के.टी. शाह के संशोधन को अस्वीकार कर चुके हैं। उसमें 'संधान' शब्द था और सभा उस प्रश्न के सम्बन्ध में निर्णय कर चुकी है। यदि वर्तमान संशोधन के प्रस्तावक महोदय अपने संशोधन को उपस्थित करते हैं, तो सभा को फिर से उसी प्रश्न पर विचार करना होगा। इसलिये इस दृष्टि से कि पहले संशोधन में इस संशोधन का आशय सन्निहित है और उस पर विचार-विमर्श तथा मतदान हो

[श्री के. हनुमनथय्या]

चुका है, मेरे विचार से हम संशोधन का रखा जाना नियम-विरुद्ध है। मुझे आशा है कि सभापति महोदय इस विषय में स्वविवेक से काम लेंगे, ताकि हमारा काम शीघ्रता से समाप्त हो सके।

***उपाध्यक्ष:** मैं आपके इस विचार से सहमत हूं कि इस प्रश्न पर विचार-विमर्श हो चुका है, परन्तु यदि प्रस्तावक महोदय इस संशोधन को उपस्थित ही करना चाहते हैं, तो मेरे विचार से उनका यह प्रस्ताव नियम-विरुद्ध नहीं होगा।

***श्री महबूबअली बेग साहब:** डा. अम्बेडकर ने कहा था कि विधान के मसौदे में जो शासन-प्रणाली प्रस्तावित है, वह एकात्मक नहीं है, बल्कि संधानीय है परन्तु बाद में उन्होंने कहा कि चाहे जिस नाम से आप कहें, उससे कुछ अन्तर नहीं पड़ता, आप चाहें तो उसे संघ कहें या संधान कहें। उन्होंने यह कहा था कि 'संघ' शब्द जानबूझकर रखा गया है, ताकि उसके अंगों को पृथक होने की स्वतंत्रता न रहे। मैं समझता हूं कि मैं डा. अम्बेडकर के दृष्टिकोण की ठीक व्याख्या कर रहा हूं। श्रीमान्, विधान या तो एकात्मक होता है या संधानीय, परन्तु यदि विधान का मसौदा बनाने वालों के मस्तिष्क में एकात्मक शासन था और फिर भी उन्होंने उसे संधानीय कहा तो...।

***उपाध्यक्ष:** चूंकि हमारे पास बहुत कम समय है, इसलिये आप विचाराधीन विषय तक ही सीमित रहिये।

***श्री महबूबअली बेग साहब:** यदि डा. अम्बेडकर यह कहें कि 'संघ' शब्द को रखने के लिये कोई विशेष कारण न था, तो हम ठीक शब्द 'संधान' ही को क्यों न प्रयोग करें? परन्तु इसके विपरीत यदि 'संघ' शब्द इस उद्देश्य से रखा गया है कि आगे चलकर यह संधानीय शासन-प्रणाली एकात्मक शासन-प्रणाली का रूप धारण कर ले, तो इस सभा का दायित्व है कि ठीक शब्द का प्रयोग किया जाये, ताकि भविष्य में किसी शक्ति प्रिय पदारूढ़ दल के लिये इसे आसानी से एकात्मक शासन-प्रणाली का रूप देना कठिन हो। इसलिये इस सभा का यह कर्त्तव्य है कि वह ''संघ'' शब्द के स्थान में ठीक शब्द 'संधान' का प्रयोग करे। श्रीमान्, इस संशोधन को उपस्थित करने के लिये मेरा यही तर्क है। यदि आप संधानीय शासन चाहते हैं और एकात्मक शासन को नहीं चाहते और यदि आप चाहते हैं कि आगे चल कर कोई शक्तिप्रिय दल इसे एकात्मक शासन का रूप

देकर फ़ासिस्ट अथवा सर्वाधिक सम्पन्न न हो, तो हमें ठीक शब्द अर्थात् 'संधान' शब्द का प्रयोग करना चाहिये। इसलिये, श्रीमान, मेरा यह प्रस्ताव है कि 'संघ' शब्द की जगह 'संधान' शब्द रखा जाये।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः** मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता हूं।

***उपाध्यक्षः** अब मैं इस संशोधन पर मत लूंगा।

*संशोधन गिर गया।*

***उपाध्यक्षः** श्री लारी का संशोधन संख्या 100 है। मेरे विचार से इसका आशय 99वें संशोधन में आ जाता है। क्या मि. लारी इसे उपस्थित ही करना चाहते हैं? (*मि. लारी सभा में उपस्थित नहीं थे*) अब हम संशोधन संख्या 101 को लेते हैं। श्री कामत!

***श्री एच.वी. कामतः** श्रीमान्, मैं इसके केवल दूसरे भाग को उपस्थित कर रहा हूं। आरम्भ में ही क्या मैं आपसे निवेदन करूं कि...

***उपाध्यक्षः** श्री आयंगर, आप क्या कहना चाहते हैं?

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगरः** जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है मैं इसे स्थगित नहीं कराना चाहता। मैं इसके दूसरे भाग के प्रस्तुत होने में कोई विशेष आपत्ति नहीं देखता।

***एक माननीय सदस्यः** श्रीमान्, संशोधन संख्या 104 का भी यही आशय है।

***श्री एच.वी. कामतः** श्रीमान्, आरम्भ में ही क्या मैं यह बात आपके ध्यान में ला सकता हूं कि मैंने आरम्भ में यह संशोधन अलग-अलग दो संशोधनों के रूप में भेजा था। दुर्भाग्य से दफ्तर ने इन दोनों को एक ही में मिला दिया। यदि ये संशोधन अलग-अलग छपे होते, तो कोई कठिनाई नहीं होती। पहला संशोधन ''संघ'' शब्द के पहले 'संधानीय'' शब्द रखने के बारे में था और दूसरा 'राज्य' शब्द के स्थान में ''प्रदेश'' शब्द रखने के बारे में था।

[श्री एच.वी. कामत]

अब मैं संशोधन पर ही विचार प्रकट करूंगा। संशोधन का दूसरा भाग सभा के सम्मुख प्रस्तुत है। श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

''अनुच्छेद 1 के खण्ड (1) में ''स्टेट्स'' शब्द की जगह ''प्रदेशाज'' शब्द रखा जाये।''

***श्री सी. सुब्रमणियम** (मद्रास : जनरल): श्रीमान्, मेरा एक औचित्य प्रश्न है। यह कोई संशोधन नहीं है। ''प्रदेश'' ''स्टेट्स'' शब्द का केवल हिन्दी अनुवाद है। यदि हम शब्दों के अनुवादों को संशोधनों के रूप में स्वीकार करें, तो इससे असंख्य पेचीदगियां उत्पन्न हो जायेंगी। विधान का मसौदा अंग्रेजी भाषा में है और हमें अंग्रेजी शब्दावली को ही स्वीकार करना चाहिये और अन्य शब्दों को, चाहे वे हिन्दी के हों या हिन्दुस्तानी के, स्वीकार न करना चाहिये।

***उपाध्यक्ष:** मैं यह बताना चाहूंगा कि यह औचित्य प्रश्न नही है, बल्कि 'प्रदेश' शब्द के प्रयोग के विरुद्ध एक तर्क है। यदि श्री कामत बोलना चाहें, तो कृपा करके उन्हें सभा के सम्मुख बोलने दीजिये।

***श्री एच.वी. कामत:** श्रीमान्, मुझे इसकी प्रसन्नता है कि कई सदस्य अपनी सम्मति प्रकट कर चुके हैं, क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि सभा इस सम्बन्ध में कितनी दिलचस्पी ले रही है। इस विश्वास से सशक्त होकर में आगे बढ़ता हूं। कई कारणों से मैं ''स्टेट'' शब्द की जगह ''प्रदेश'' शब्द को रखना चाहता हूं। एक तो मैं यह देखता हूं कि विधान के इस मसौदे में ''स्टेट'' शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। क्या मैं आपका ध्यान भाग 3 के अनुच्छेद 7 की ओर आकर्षित कर सकता हूं, जिसमें यह कहा गया है कि ''स्टेट'' शब्द में भारत की सरकार और पार्लियामेंट तथा राज्यों में से प्रत्येक की सरकार और विधान-मण्डल तथा भारत के राज्य-क्षेत्र के अन्तर्गत सब स्थानीय तथा अन्य प्राधिकारियों का समावेश है। यहां हमने 'राज्य' शब्द को बिल्कुल भिन्न अर्थ में प्रयुक्त किया है। इसलिये ''स्टेट'' शब्द के स्थान में ''प्रदेश'' शब्द रखने का पहला कारण यह है कि ''स्टेट'' शब्द को इस विधान में भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयुक्त करने से जो गड़बड़ी पैदा हो गई है, वह दूर हो जाये। दूसरा कारण यह है कि मुझे शंका है, यद्यपि मेरी इच्छा है कि यह शंका मिथ्या सिद्ध हो कि ''स्टेट'' शब्द को अमेरिका के विधान से आंखे बन्द करके नकल कर लिया गया है। इस विधान के मसौदे प्रस्तुत करते समय डा. अम्बेडकर ने अपने प्रारम्भिक भाषण में

कहा था कि हमने संसार के विधानों में से कई बातें ली हैं। यहां मुझे ऐसा लगता है कि यह ''स्टेट'' शब्द अमेरिका के विधान से लिया गया है। परन्तु मैं आंख बन्द करके नकल करने के विरुद्ध हूं। तीसरा कारण, श्रीमान्, यह है कि अपने इतिहास को देखने से हमें यह पता चलता है कि पिछले 150 वर्षों में ''स्टेट'' शब्द का सम्बन्ध एक ऐसी चीज से रहा है, जो हमारे लिये अत्यंत घृणास्पद रही है। भारत की ''स्टेटों'' में एक ऐसी शासन-प्रणाली रही है कि उसका शीघ्रातिशीघ्र अन्त करने के लिये हम चिन्तित हैं और सरदार पटेल के मेधावी नेतृत्व में यह कार्य बहुत-कुछ सम्पन्न हो गया है। इसलिये मैंने जो संशोधन सभा के सम्मुख उपस्थित किया है, उसके द्वारा मैं जिस ब्रिटिश शासन का हमारे हित में अन्त हुआ है, उसके इस दुर्गन्धयुक्त संस्मरण का भी अन्त कर देना चाहता हूं। उन मित्रों से जो अंग्रेजी भाषा के प्रेमी हैं और जिनका यह विचार है कि चूंकि यह विधान अंग्रेजी में लिखा गया है, इसलिये इसमें हमें अपने शब्द न रखने चाहियें, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विचार से स्वदेशी, हिन्दी या भारतीय शब्दों के सम्बन्ध में तो कोई निषेध नहीं है। मैं आपको ''कान्स्टीट्यूशनल प्रिसिडेंट्स'' नाम की पुस्तक से, जो हमें इस सभा के सेक्रेरियट ने डेढ़ वर्ष पहले दी थी, स्वतंत्र आयरिश राज्य के विधान के सम्बन्ध में पढ़कर सुनाता हूं। इस पुस्तक के 114वें पृष्ठ के अन्त में हम यह पाते हैं:

''आयरिश भाषा मैं भी''

इसका अर्थ यह है कि सन् 1937 ई. का विधान पहले अंग्रेजी भाषा में स्वीकार किया गया था, क्योंकि पृष्ठ के नीचे जो लेख है, उसमें कहा गया है कि आयरिश भाषा में भी स्वीकार किया गया। इसका अर्थ यह है कि आरम्भ में वह अंग्रेजी भाषा में स्वीकार किया गया था और बाद में आयरिश भाषा में भी स्वीकार किया गया। यदि आप आयरलैंड के विधान को देखें, तो आपको अंग्रेजी शब्दों के स्थान में कई आयरिश शब्द मिलेंगे; जैसे ओइरीखवस, डायल आयरीन, टाओइसीख (प्रधान मंत्री के लिये) और सीनाड आयरीन। ये सब शब्द शुद्ध आयरिश शब्द हैं और आयरलैंड के अंग्रेजी भाषा के विधान में इन शब्दों को रखा गया है, तथा उन्होंने इनके अंग्रेजी पर्याय रखने की चिन्ता नहीं की है। इसलिये यह सभा ही यह निश्चय कर सकती है कि हम अपने विधान में किन भारतीय शब्दों को, चाहे वे हिन्दी के हों या देश की किसी अन्य भाषा के हों, स्थान दें।

इसलिये श्रीमान्, जो कारण मैंने बताये हैं, उनको ध्यान में रखते हुये इस प्रसंग में ''स्टेट'' शब्द हमारे विधान में कहीं भी प्रयोग में न आना चाहिये। श्रीमान्, मैं एक बात और कहूंगा, जो राज्य अभी संघ में समाविष्ट हुये हैं, जो पहले

[श्री एच.वी. कामत]

''राज्य'' या ''भारतीय रियासतों'' के नाम से पुकारे जाते थे और जिनको हमने मिलाकर उनकी इकाइयां बना दी हैं, उनके सम्बन्ध में हम ''प्रदेश'' शब्द ही प्रयोग में लाये हैं। हिमाचल संघ को हम हिमाचल प्रदेश कहते हैं, विंध्य संघ को हम विंध्य प्रदेश कहते हैं और आसाम में भी वहां के राज्यों के संघ को पूर्वांचल प्रदेश कहने के लिये एक आन्दोलन हो रहा है।

एक बात यह है कि हम निकट भविष्य में प्रान्तों को एक नये आधार पर निर्माण करने जा रहे हैं। इस समय भी मद्रास, मध्यप्रान्त और बम्बई ने कुछ भारतीय रियासतों को समाविष्ट कर लिया है। इस प्रकार नये प्रान्त पुराने प्रान्तों से भिन्न प्रकार के होने जा रहे हैं और इसलिये ''स्टेट'' शब्द से ''प्रदेश'' शब्द बहुत उपयुक्त है।

श्रीमान्, अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र श्री घनश्यामसिंह गुप्त ने भी इस अनुच्छेद के सम्बन्ध में एक संशोधन उपस्थित किया है। यदि यह गिर जाता है, तो मेरे मित्र के संशोधन के लिये कोई स्थान न रह जायेगा। परन्तु यदि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसके परिणामस्वरूप सारे विधान के मसौदे में परिवर्तन करने होंगे।

इसलिये श्रीमान्, मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि:

> ''अनुच्छेद 1 के खण्ड (1) में 'स्टेट्स' शब्द की जगह 'प्रदेशाज' शब्द रखा जाये और मैं सभा से सिफारिश करता हूं कि इसे स्वीकार कर लिया जाये।''

***माननीय श्री घनश्याम सिंह गुप्त** (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): श्रीमान् अपने संशोधन के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं। श्री कामत के संशोधन में केवल यह कहा गया है कि अनुच्छेद 1 के खण्ड (1) में ''स्टेट्स'' शब्द की जगह ''प्रदेशाज'' शब्द रखा जाये। इसका अर्थ यह होगा कि अन्य खण्डों में और अन्य अनुच्छेदों में इस शब्द को न रखा जाये। यदि ऐसा होगा, तो यह ठीक न होगा। इसलिये मेरा 104वां संशोधन या तो श्री कामत के संशोधन में संशोधन समझा जाये, या मुझे उसे इस समय उपस्थित करने दिया जाये, ताकि किसी प्रकार की पेचीदगी उत्पन्न न हो। यह एक अनर्गल बात होगी कि केवल अनुच्छेद 1 के खण्ड (1) में ''स्टेट्स'' शब्द की जगह ''प्रदेशाज'' शब्द रखा जाये। श्रीमान्, मैं अनुच्छेद 1 का खण्ड (1) पढ़ूंगा; उसमें कहा गया है—''भारत राज्यों (स्टेट्स)

का एक संघ होगा।'' श्री कामत इसी स्थान में परिवर्तन चाहते हैं। इसका अर्थ है कि यह इस प्रकार हो जायेगा—''भारत प्रदेशों का एक संघ होगा।" खण्ड (2) और (3) में तथा अन्य खण्डों में ''स्टेट्स'' ही शब्द रहेगा।

***उपाध्यक्षः** क्या मैं आपकी आज्ञा से बीच में कुछ कह सकता हूं? यदि श्री कामत का यह संशोधन गिर जाता है तो फिर संशोधन संख्या 104 पर विचार होगा। यदि वह स्वीकार भी हो गया, तो आपका संशोधन बाद में उठाया जायेगा और उस समय आपको अवसर मिलेगा। मेरे विचार से इस प्रकार सभा का कुछ समय बच जायेगा।

***माननीय श्री घनश्याम सिंह गुप्तः** श्रीमान्, मैंने जिस कार्यक्रम का सुझाव दिया है उससे सभा का समय वास्तव में बच जायेगा। यदि मैं अपने संशोधन को श्री कामत के संशोधन में संशोधन के रूप में उपस्थित करूं, तो सभा का समय बच जायेगा। अन्यथा ऐसी बात हो सकती है, यद्यपि मैं यह नहीं कहता कि यह अवश्य ही होगी कि श्री कामत का संशोधन स्वीकार हो जाये और मेरा अस्वीकार हो जाये...।

***उपाध्यक्षः** क्या आप उसे अभी उपस्थित करना चाहते हैं?

***माननीय श्री घनश्याम सिंह गुप्तः** जी हां।

***उपाध्यक्षः** अच्छी बात है, आप ऐसा कर सकते हैं।

***माननीय श्री घनश्याम सिंह गुप्तः** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

> ''अनुच्छेद 1 में जहां कहीं 'स्टेट' शब्द आया हो, उसकी जगह 'प्रदेश' शब्द रखा जाये और इस परिवर्तन के फलस्वरूप सारे विधान के मसौदे में आवश्यक परिवर्तन किये जायें।''

इस प्रस्ताव को इसी समय उपस्थित करने का कारण मैं बता चुका हूं। यदि श्री कामत का संशोधन स्वीकार हो गया, तो इसका अर्थ यह होगा कि केवल अनुच्छेद 1 के खण्ड (1) में संशोधन होगा और शेष भाग में संशोधन न होगा। परन्तु यदि मेरा संशोधन स्वीकार हुआ, तो न केवल हम अनुच्छेद 1 के खण्ड (1)

[माननीय श्री घनश्याम सिंह गुप्त]

में ''स्टेट'' शब्द की जगह ''प्रदेश'' शब्द रखेंगे; परन्तु अनुच्छेद 1 के शेष भाग में तथा सारे विधान के मसौदे में भी यही करेंगे ताकि उसमें एकरूपता आ जाये; अन्यथा कुछ अनर्गलता रह जायेगी। ''स्टेट'' शब्द की जगह मैं 'प्रदेश'' इस कारण रखना चाहता हूं कि भाग 1 और भाग 2 में ''स्टेट्स'' शब्द से वास्तव में प्रान्तों से अभिप्राय है और भाग 3 में ''स्टेट्स'' शब्द से इस समय की भारतीय रियासतें अभिप्रेत हैं और स्वीकृत अर्थ के अनुसार इनको ही ''स्टेट्स'' कहा जा सकता है। दोनों में एकरूपता लाने के लिये तथा अमेरिकन विधान का अनुसरण करने के लिये सम्भवत: ''स्टेट'' शब्द का प्रयोग किया गया हो, परन्तु अमेरिकन विधान हमारे देश के लिये उपयुक्त नहीं है क्योंकि आरम्भ में अमेरिका के स्टेट्स सर्वसत्ताधारी स्टेट्स थे। हमारे प्रान्त सर्वसत्ताधारी नहीं हैं। उनकी केन्द्र से अलग कभी सत्ता न थी। भारतीय रियासतें भी सर्वसत्ताधारी नहीं हैं हम यह चाहते हैं कि भारत एक राष्ट्र ही न हो बल्कि एक स्टेट भी हो। इसलिये मेरा निवेदन है कि कहा यह जाना चाहिये कि ''भारत प्रदेशों का एक संघ होगा''। मैंने ''प्रान्त'' शब्द को नहीं लिया है, क्योंकि यह तथाकथित शब्द भारतीय रियासतों के सम्बन्ध में उपयुक्त न होगा। हम इन दोनों में एकरूपता लाना चाहते हैं। प्रदेश शब्द प्रान्तों और तथाकथित भारतीय रियासतों दोनों के लिये प्रयोग में आ सकता है। हमारे नेताओं के परिश्रम के फलस्वरूप भारतीय रियासतें शीघ्र ही संघ में समाविष्ट हो रही हैं। इसके अतिरिक्त वे स्वयं इस शब्द को पसंद करती हैं। उदाहरण के लिये हिमाचल प्रदेश और विंध्य प्रदेश हैं। यदि इस शब्द को हम अपने प्रान्तों और रियासतों दोनों के लिये प्रयोग में लाना चाहें, तो सब प्रकार की विषमता दूर हो जायेगी। मुझे इतना ही कहना है।

***श्री के. हनुमनथय्या:** श्रीमान्, मुझे इसका खेद है कि मुझे अपने मित्र श्री कामत और श्री गुप्त के संशोधनों का विरोध करना पड़ रहा है। मैं तो यह कहूंगा कि आप गुलाब को चाहे जिस नाम से कहें, उससे सुगन्ध ही आयेगी। मसौदा-समिति ने यहां पर भारत को स्टेट्स का संघ कहा है, परन्तु मेरे मित्र उसे प्रदेशों का संघ कहना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि इस अवसर पर किसी प्रकार का भाषासम्बन्धी वाद-विवाद किया जाये। मैं सभा से यह अनुरोध करता हूं कि इस प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार न किया जाये। सभी लोग यह स्वीकार करते हैं कि ''प्रदेश'' शब्द अंग्रेजी का शब्द नहीं है। हम अंग्रेजी भाषा में लिखे हुये मसौदे पर विचार कर रहे हैं। मैं अपने उन मित्रों से, जिन्होंने संशोधन उपस्थित किये हैं, आदरपूर्वक कहता हूं कि क्या वे अंग्रेजी के किसी कोष में ''प्रदेश'' शब्द को दिखा

सकते है? हम अंग्रेजी भाषा में जिन शब्दों को उचित समझें, उन्हें अपनी ही तरफ से नहीं जोड़ सकते। अंग्रेजी भाषा के अपने शब्द हैं हम विधान के मसौदे में बेमेल ढंग से विभिन्न भाषाओं के शब्द नहीं भर सकते। इसके अतिरिक्त मैं आदरपूर्वक यह निवेदन करता हूं कि विधान एक कानूनी लेख है। इसमें शब्दों का निश्चित अर्थ है। हम अस्पष्ट अर्थ के शब्दों को विधान में सम्मिलित नहीं कर सकते, क्योंकि इससे न्यायालयों में उनकी गलत व्याख्या होने का भय बना रह सकता है। इसलिये मैं प्रस्तावक महोदय तथा समर्थक महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वे इस शब्द को विधान के मसौदे में सम्मिलित करने के लिये जोर न दें। यदि मेरे मित्रों को हिन्दी भाषा के सम्बन्ध में बहुत उत्साह हो तो उन्हें जानना चाहिये कि हम किसी से पीछे नहीं हैं और उनका समर्थन करेंगे। परन्तु इस जगह और इस समय हिन्दी के शब्द विधान के मसौदे में सम्मिलित नहीं किये जाने चाहिये। इसलिये श्रीमान्, सुविधा और कानून की दृष्टि से मसौदा समिति का शब्द ''स्टेट'' बहुत अच्छा है। इस शब्द के स्थान में ''प्रदेश'' शब्द रखने से बहुत वाद-विवाद खड़ा हो जायेगा और यदि विधान के अन्य अनुच्छेदों में भी कनाड़ी, तमिल और हिन्दी शब्दों को रखने के बारे में संशोधन आयें, तो जैसा कि मैं कह चुका हूं, सारा मसौदा भाषा सम्बन्धी विवाद का एक नमूना हो जायेगा। मैं प्रस्तावकों से प्रार्थना करता हूं कि इन संशोधनों पर जोर न दें, क्योंकि ये शब्द केवल अनुवाद मात्र है और अंग्रेजी मसौदे में गैर-अंग्रेजी शब्दों को प्रविष्ट न करें।

***पं. लक्ष्मीकांत मैत्र** (पश्चिमी बंगाल : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री कामत के संशोधन का विरोध करते हुये मेरे माननीय मित्र श्री हनुमनथय्या ने अभी जो भाषण दिया है, उसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना। मैं यह उचित समझता हूं कि अपने माननीय मित्र श्री हनुमनथय्या से तुरन्त ही कह दूं कि उन्हें इस संशोधन के उपस्थित होने से हिन्दी शब्दों की प्रविष्टि के लिये किसी चाल का सन्देह न होना चाहिये। विधान के मसौदे पर विचार करने के लिये सामान्य प्रस्ताव पर बोलते हुये मैंने परोक्ष रूप से राज्यों को विस्तारपूर्वक चर्चा की थी। शब्द का संसार के विधान-सम्बन्धी साहित्य में एक विशेष अर्थ है। (*हर्ष ध्वनि*) ''स्टेट'' शब्द में सर्वसत्तापूर्ण स्वतंत्रता इत्यादि का भाव सन्निहित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टेटों के अधिकारों की एक विचारधारा थी। उस विचारधारा के अनुसार स्टेटों की स्वतंत्र सत्ता समझी जाती थी और इस प्रकार के दीर्घकालीन वाद-विवाद के फलस्वरूप ऐसी कटुता उत्पन्न हुई कि वहां गृह युद्ध छिड़ा, जिसमें खून की नदियां बह गई। इतिहास इसका प्रमाण है। इसलिये अपने देश का स्टेटों के संघ

[पं. लक्ष्मीकांत मैत्र]

के रूप में वर्णन करने से मुझे यह भय है कि वे प्रान्त, जिन्हें स्टेटों का सम्मानित पद दिया जा रहा है, वे देशी राज्य जो अभी तक भारतीय नरेशों के अधीन थे और जो अब भारतीय संघ में समाविष्ट हो गये हैं, आगे चलकर सम्भवत: यह विवाद खड़ा कर दें कि वे स्वतंत्र सत्ताधारी थे और देशी राज्य भारतीय संघ में केवल तीन विषयों के लिये, अर्थात् यातायात, रक्षा और वैदेशिक सम्बन्धों के लिये सम्मिलित हुये थे। भविष्य में इस प्रकार के वाद-विवाद की कोई सम्भावना न रहने देने के लिये मैंने सभा के सम्मुख यह सुझाव रखा था कि ''स्टेट'' शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रखने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। हमें कोई भी ऐसी बात न रखनी चाहिये, जिससे भविष्य में इस प्रकार का वाद-विवाद उत्पन्न हो सके। इस समय भी मैं इसके लिये तैयार हूं कि मेरे मित्र कोई नया शब्द खोज निकाले और इसके स्थान में उसे रख दें। इस शब्द से एक प्रकार की दुर्गन्ध आती है। यह सुझाव रखा गया है कि ''स्टेट'' शब्द की जगह ''प्रदेश'' शब्द रखा जाये। मैं अपने मित्र श्री हनुमनथय्या और उनकी विचारधारा के अन्य लोगों से, जो यह चाहते हैं कि यह शब्द हिन्दी मसौदे में रखा जाये, यह कहना चाहता हूं कि यह संस्कृत शब्द है। यह अंग्रेजी शब्द नहीं है; परन्तु यदि इसे अपनाया जाये, तो कोई कठिनाई न होगी। आप अनुच्छेद 1 के उपखण्ड (2) में कहते हैं कि:

> ''स्टेटों से प्रथम अनुसूची के भाग 1, 2 और 3 में उल्लिखित स्टेट अभिप्रेत होंगे।''

यदि आप अनुसूची का भाग 1 देंखे, तो आपको उसमें मद्रास, बम्बई, पश्चिमी बंगाल, संयुक्तप्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त, असम और उड़ीसा के गवर्नरों के प्रान्त संगठित मिलेंगे और यदि आप भाग 2 को देखें, तो आप उसमें दिल्ली, अजमेर-मेरवाड़ा, पंथ पिप्लोदा और कुर्ग पायेंगे। मैं गम्भीरतापूर्वक पूछता हूं कि क्या आप दिल्ली के शहर को स्टेट कहने जा रहे हैं? क्या आप अजमेर-मेरवाड़ा को स्टेट कहने जा रहे हैं? यदि आप कहेंगे, तो यह हास्यास्पद ही होगा। इसलिये किसी यथोचित अन्य शब्द के अभाव के कारण ''प्रदेश'' शब्द ही जो संस्कृतगर्भित शब्द है और जिससे एक बड़े भूभाग का बोध होता है, उपयुक्त होगा। यदि पहली अनुसूची में वर्णनात्मक रूप से ''प्रदेश और भारत का राज्यक्षेत्र'' शब्द रखे जाये, तो इससे कोई हानि न होगी। इससे फिर किंचितमात्र भी सन्देह नहीं रह जायेगा कि ''प्रदेश'' का ठीक-ठीक अर्थ क्या है। मैं यह जानता हूं कि विधान का यह मसौदा अंग्रेजी भाषा में है। मेरे माननीय मित्र के इस कथन में कुछ बल है कि अंग्रेजी मसौदे में हमें संस्कृत के शब्द न रखने चाहिये। परन्तु मेरे मैसूर के मित्र

को तो सबसे अन्त में अपने प्रदेश को एक स्वतंत्र स्टेट कहना चाहिये था। क्या इसके लिये कोई तर्क की आवश्यकता है? क्या उन्होंने अभी तक यह तर्क नहीं उपस्थित किया है कि इन स्टेटों की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होनी चाहिये और इन्हें संघ में समाविष्ट कर लेना चाहिये? इसलिये ''स्टेट'' शब्द को किसी प्रकार भी ऐसा न समझना चाहिये कि वह हटाया ही नहीं जा सकता। यदि मसौदा तैयार करने वाले या इस सभा में कोई अन्य व्यक्ति, हम जो कुछ चाहते हैं, उसे व्यक्त करने के लिये यदि किसी अन्य शब्द का सुझाव कर सकते हैं, तो मैं उसे स्वीकार करने के लिये तैयार हूं। हमने हमेशा केन्द्र को शक्तिशाली बनाने के लिये तर्क उपस्थित किये हैं। मसौदे में एक संधानीय ढांचे की व्यवस्था है, परन्तु मसौदा-समिति ने उसको एकात्मक भी बनाया है और यह उसने ठीक ही किया। हम इसकी प्रशंसा करते हैं यदि हम इस विचारधारा को व्यवहार में लाना चाहते हैं तो हमें एक ऐसे शब्द को ढूंढ निकालना है, जो हमारे दृष्टिकोण को पूर्ण रूप से व्यक्त करे। इस दृष्टि से मेरा यह विश्वास है कि यदि हम स्टेटों को प्रदेश कहें तो इससे कोई हानि न होगी। यदि यह सुझाव स्वीकार हुआ, तो सभी प्रकार के स्टेट, चाहे वे गवर्नरों के प्रान्त हों या चीफ कमिश्नरों के प्रान्त और चाहे वे तथाकथित देशी रियासतें हों, सभी प्रदेश कहे जायेंगे और ''प्रदेश'' शब्द को पहली अनुसूची में सम्मिलित किया जा सकता है। ''स्टेट'' शब्द की जगह ''प्रदेश' शब्द रखने के लिये जो प्रस्ताव किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

***श्री रोहिणी कुमार चौधरी** (आसाम : जनरल): श्रीमान्, आगे के लिये मैं आपसे इसकी आज्ञा चाहता हूं कि मुझे निकट से निकट माइक्रोफोन से बोलने दिया जाये, क्योंकि हमारी जगहों से यहां तक की लम्बी दूरी से कभी-कभी हमें अपने विचारों को भूलने ही की सहायता मिलती है। (*हंसी*)

मैं इस संशोधन का विरोध करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं श्री कामत के संशोधन का विरोध करता हूं और मैं बड़ी आसानी से सभा से यह कह सकता हूं कि वह उसे अस्वीकार कर दे। वे चाहते हैं कि ''स्टेट्स'' शब्द को जगह ''प्रदेशाज'' शब्द रखा जाये। वे यह निर्णय कैसे कर बैठे हैं कि ''प्रदेशाज'', ''प्रदेश'' का बहुवचन है? यद्यपि आप अंग्रेजी शब्द को निकालना चाहते हैं, परन्तु आप फिर भी अंग्रेजी व्याकरण का ही प्रयोग कर रहे हैं उसे तो ''प्रदेश'' होना चाहिये था। वह ''प्रदेशाज'' नहीं हो सकता। इस कारण और इस कारण भी कि यदि आप अनुच्छेद 1 ही में ''प्रदेश'' शब्द को रखें और अन्य अनुच्छेदों में उसे न रखें, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। मैं श्री कामत के संशोधन का विरोध

[श्री रोहिणी कुमार चौधरी]

करता हूं, परन्तु अपने मित्र मध्यप्रान्त की असेम्बली के सभापति श्री गुप्त के संशोधन का विरोध मुझे सावधानी से करना चाहिये।

परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि उन्होंने जिस परिवर्तन का प्रस्ताव किया है, उसका उद्देश्य क्या है? उन्होंने किसी भावना से प्रेरित होकर ऐसा किया होगा, यह मेरी समझ में आता है; परन्तु मैं इसकी सराहना नहीं कर सकता। इस समय श्रीमान्, अंग्रेजी भाषा में लिखे हुये विधान पर विचार हो रहा है और यही विधान राष्ट्रभाषा में भी लिखा जायेगा, चाहे आप उस भाषा को हिन्दी कहें या हिन्दुस्तानी। जब आप विधान को हिन्दुस्तानी में लिखने लगेंगे, तो यह स्वाभाविक ही है कि आप ''स्टेट'' या ''प्राविंस'' शब्द की जगह ''प्रदेश'' रखेंगे। जब आप विधान को अंग्रेजी में लिख रहे हैं, तो यह समझ में नहीं आता कि आप ''स्टेट'' शब्द की जगह ''प्रदेश'' क्यों रखना चाहते हैं। इसका क्या उद्देश्य है? यही मैं जानना चाहता हूं। यदि इसका उद्देश्य यह है कि जो लोग हिन्दी नहीं जानते हैं, उन्हें ''प्रदेश'' शब्द से परिचित कराया जाये, तो यह भी मेरी समझ में आता है। दक्षिण भारत के लोग हिन्दी नहीं समझते हैं, इसलिये उन्हें ''प्रदेश'' शब्द को सिखलाया जाये और फिर किसी दूसरे शब्द को सिखलाया जायेगा और इस प्रकार धीरे-धीरे यह भाषा दक्षिण भारत के लोगों पर लाद दी जायेगी। (*हंसी*) क्या इसका यही उद्देश्य है?

इसके अतिरिक्त संयुक्तप्रान्त और मध्यप्रान्त के अन्त में ''प्रदेश'' शब्द जोड़ने से बड़ा भोंडा लगेगा। क्या आप संयुक्तप्रान्त प्रदेश या मध्यप्रान्त प्रदेश कहेंगे? और यदि ''प्रान्त'' की जगह भी आप ''प्रदेश'' शब्द रखना चाहें तो दो जगह ''प्रदेश'' प्रदेश हो जायेगा। यह बुरा लगेगा।

बंगाल को लीजिये। आप पश्चिमी बंगाल को क्या कहेंगे? क्या आप उसे पश्चिमी बंगाल प्रदेश कहेंगे? पश्चिम बंग प्रदेश तो मेरी समझ में आता है; परन्तु केवल ''प्रदेश'' शब्द रखना मेरी समझ में नहीं आता।

यदि यह शब्द बदल दिया जायेगा, तो ये सब पेचीदगियां पैदा हो जायेगी। इससे किसी का लाभ न होगा। परन्तु इसके विपरीत यदि ''स्टेट'' शब्द को ही रहने दिया जाये, तो इससे किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचेगी। इसलिये मैं माननीय श्री गुप्त से प्रार्थना करता हूं कि वे इस प्रश्न पर फिर विचार करें।

यदि किसी कुसंयोग से यह संशोधन स्वीकार हो जाये, तो श्रीमान्, आप कृपा करके पहली अनुसूची में संशोधन करने के लिये हमें समय देंगे, क्योंकि यू.पी. प्रदेश और सी.पी. प्रदेश कहना बड़ा भोंडा लगता है। इसके अतिरिक्त मैं आसाम प्रदेश को कामरूप प्रदेश कहना चाहूंगा, क्योंकि जैसा कि मुझे दिखाई देता है, आज कल आसाम शब्द हर एक के कानों में खटकता है।

***उपाध्यक्षः** आपको घण्टी का संकेत समझना चाहिये।

***श्री रोहिणी कुमार चौधरीः** श्रीमान्, मुझे घण्टियों की आवाज नहीं सुनाई देती।

***सेठ गोविन्द दासः** श्रीमान्, सबसे पहले मैं हिन्दी न बोलने वाले प्रान्तों के माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस संशोधन को हमने इस उद्देश्य से उपस्थित नहीं किया है कि हम किसी पर हिन्दी भाषा को बलपूर्वक लादें। जहां तक इस संशोधन का प्रश्न था इस सम्बन्ध में भाषा-सम्बन्धी विवाद तो उठना ही न चाहिये था। हम ''स्टेट'' शब्द को निकालना चाहते थे और इसीलिये वह संशोधन प्रस्तुत है।

अपने मित्र श्री रोहिणीकुमार चौधरी के भाषण को सुनकर मुझे एक प्रकार से आश्चर्य हुआ। उन्होंने हमसे पूछा है कि यदि ''प्रदेश'' शब्द को स्वीकार कर लिया गया, तो यू.पी. और सी.पी. का क्या होगा? मैं उनको बताना चाहता हूं कि उनका संयुक्त प्रदेश और मध्य प्रदेश हो जायेगा। वे यू.पी. प्रदेश और सी.पी. प्रदेश न कहे जायेंगे। मेरे विचार से श्री रोहिणीकुमार संस्कृत अच्छी तरह जानते हैं और इसलिये वे इससे सहमत होंगे कि यदि हम विधान में ''प्रदेश'' शब्द को स्थान दें, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अंग्रेजी का शब्द ''प्राविंसेज'' या ''प्राविंस'' ''प्रदेश'' के साथ प्रयुक्त होंगे। यदि हम ''स्टेट'' शब्द को इसलिये निकालना चाहें कि विभिन्न देशों में वह विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, तो यह हम उसके स्थान में ''प्रदेश'' शब्द को ही रखकर कर सकते है।

अब जहां तक ''प्राविंसेज'' शब्द का सम्बन्ध है, एक दूसरी विवादास्पद बात है। कई स्टेट या स्टेटों के संघ ऐसे हैं, जो आरम्भ में ''प्राविंस'' शब्द को स्वीकार न करना चाहेंगे। यद्यपि सभी ''प्राविंसों'' के प्रति भविष्य में एक-सा ही व्यवहार होगा, परन्तु आरम्भ में स्टेटों के इन संघों को ''प्राविंस'' कहना ठीक न होगा।

[सेठ गोविन्द दास]

इसलिये इन कठिनाइयों को सामने रखकर हमने यह विचार किया कि ''प्रदेश'' शब्द ही उचित होगा। अंग्रेजी भाषा में लिखे हुये विधान में भी ''प्रदेश'' शब्द रखने में मेरे विचार से कोई कठिनाई न होगी। अंग्रेजी भाषा में ''बाज़ार'' ''राज्य'' जैसे कई शब्द ले लिये गये हैं। इन शब्दों का बहुवचन बनाने के लिये हम ''एस'' अक्षर को जोड़ते हैं और अंग्रेजी में वह ''बाजार्स'' या ''राज्याज'' हो जाता है। इसी प्रकार हिन्दी भाषा के किसी शब्द का अंग्रेजी भाषा में बहुवचन बनाने के लिये आपको केवल 'एस' अक्षर जोड़ना होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि ''प्रदेश'' शब्द के साथ ''एस'' अक्षर जोड़कर बहुवचन में ''प्रदेशाज'' कहने में क्या कठिनाई है।

श्रीमान्, मुझे आशा है कि इस प्रसंग में भाषा-सम्बन्धी विवाद अथवा अन्य प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे और यदि हमारा यह विचार हो कि ''स्टेट'' शब्द निकाल देना चाहिये और वर्तमान परिस्थिति में ''प्राविन्सेज'' शब्द को नहीं रखा जा सकता, तो मेरे विचार से सबसे अच्छा यही होगा कि हिन्दी भाषा में लिखे हुये विधान तथा अंग्रेजी भाषा में लिखे हुए विधान में भी ''प्रदेश'' शब्द रखा जाये।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): श्रीमान्, इस प्रश्न पर मैं कोई लम्बा तर्क उपस्थित नहीं करना चाहता, परन्तु केवल यह बताना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव से मुझ पर क्या प्रभाव पड़ा है। कुछ समय पहले जब हम दो समितियों, अर्थात् संघीय विधान समिति और प्रान्तीय विधान समिति के रूप में सम्मिलित हुये थे तो हमने इस प्रश्न पर विचार किया था और इस प्रश्न पर भी विचार किया था कि सभाओं के क्या नाम होने चाहिए। काफी विचार-विमर्श के उपरान्त हमने यह निर्णय किया था कि एक सभा का नाम ''हाउस आफ स्टेट्स'' रखा जाये। इसलिये मैं यह कहता हूं कि इस प्रश्न पर विभिन्न रूप से विचार-विमर्श हुआ है। अब मैं यह अनुभव करता हूं कि यदि इस समय किसी ''प्राविंस'' के नाम में परिवर्तन किया जाये और उसे ''प्रदेश'' कहा जाये, तो मेरे विचार से यह बहुत नासमझी की बात होगी। (वाह, वाह) इस समय मैं इसके औचित्य पर विचार नहीं कर रहा हूं। यह हो सकता है कि हमें परिवर्तन करना पड़े; परन्तु यदि हम ऐसा करें तो सभी जगह इन परिवर्तनों में एकरूपता होनी चाहिये। जहां तहां एक दो शब्द रखना ठीक न होगा। सुन्दरता की दृष्टि से या कला या भाषा की दृष्टि से या अन्य किसी दृष्टि से वे ठीक नहीं जंचते हैं।

इसके अतिरिक्त मेरे विचार से यह कोई बलशाली तक नहीं है कि ''स्टेट'' शब्द से जिन बातों का बोध होता है, वे बातें हम अपने संघ के अंगों में नही चाहते। इस सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण दिया गया था। जैसी परिभाषा आप ''स्टेट'' शब्द की करेंगे, तदनुसार ही स्टेट शब्द का अर्थ होगा। आप इस विधान में अपने संघांगों की शक्तियों की ठीक-ठीक परिभाषा कर दें। यदि आप उन्हें ''प्रदेश'' या ''प्राविंस'' कहें तो वह कमियां दूर नहीं हो जाती। इसके अतिरिक्त ''प्रदेश'' एक ऐसा शब्द है जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। कोई भी नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है। आदरपूर्वक मैं यह कहना चाहूंगा कि इस सभा में उपस्थित कोई सदस्य महोदय भी इसकी परिभाषा न कर सकेंगे, क्योंकि पहले इस प्रसंग में इसका कभी भी प्रयोग नहीं हुआ है। यह अन्य दूसरे प्रसंगों में प्रयुक्त हुआ है। यह बहुत अच्छा शब्द है और धीरे-धीरे इसका महत्त्व बढ़ जायेगा और तब हम इसे अपने विधान में या अन्य जगह प्रयोग में ला सकते हैं। इस समय यह शब्द साधारणतया सैकड़ों विभिन्न अर्थों में प्रयोग में आता है और ''स्टेट'' शब्द बाह्य जगत के लिये ही नहीं किन्तु हमारे लिये भी कहीं अधिक सुनिश्चित और सुस्पष्ट है। इसलिये यह एक दुर्भाग्य की बात होगी कि हम एक बिल्कुल कृत्रिम शब्द को काम में लायें और यह बात इस प्रकार के विधान के लिये भाषा की दृष्टि से अनुचित होगी। मैं उस स्थिति की कल्पना कर सकता हूं कि जब हमारा विधान उन्नत हो जायेगा और वह हमारी ही भाषा में लिखा होगा तथा उसमें सभी उपयुक्त शब्द होंगे। मैं कह नहीं सकता कि ''प्रदेश'' शब्द उपयुक्त है या नहीं। यह बात विशेषज्ञों के तय करने की है और मैं उनके निर्णय को स्वीकार करूंगा। इस समय हम इस प्रश्न पर विचार नहीं कर रहे हैं। हम इस पर विचार कर रहे हैं कि विधान के वर्तमान अंग्रेजी के मसौदे में कौन से शब्द रखे जाने चाहिये और मैं यह कहूंगा कि ऐसे शब्दों को रखना, जो भारत में कई लोगों को भोंडे और अनुपयुक्त प्रतीत हों, ठीक न होगा। इस शब्द को इस प्रसंग में प्रयोग करना एक नवीन बात है। प्रसंगानुसार उससे परिचित होना होता है और जितने ही अधिक ऐसे शब्दों को आप प्रविष्ट करेंगे, उतना ही अधिक यह विधान साधारण लोगों को अजीब सा लगेगा। मेरी तो अपनी कसौटी यह होगी कि यह न देखा जाये कि भाषा-सम्बन्धी समितियों और विद्वानों की क्या राय है, बल्कि बाजार से तरह-तरह के सौ लोगों से यह पूछा जाये कि इस विषय के सम्बन्ध में उनकी क्या राय है और यह देखा जाये कि वे क्या कहते हैं। हम जनसाधारण का नाम लेकर बातचीत करते हैं, परन्तु वास्तव में हम कुछ चुने हुये लोगों के दृष्टिकोण से काम करते हैं और यह भूल जाते हैं कि जनसाधारण क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वैज्ञानिक विषयों के लिये पारिभाषिक शब्द चुनने के लिये आप जनसाधारण से नहीं पूछ सकते, फिर भी

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

इसमें अन्तर है कि जनसाधारण किसे अधिक समझते हैं और किसे कम समझ सकते हैं। इसलिये मैं इस सभा से प्रार्थना करता हूं कि वह इस प्रश्न पर इस दृष्टिकोण से विचार करें और अंग्रेजी भाषा में लिखे हुये विधान में अंग्रेजी ही के साधारण शब्द को स्थान दे और बाद को इस पर पूर्ण रूप से विचार करे कि हमारे विधान में हमारी भाषा के कौन से शब्द रखे जायें, जिनका निस्संदेह वही अर्थ होगा जो कि अंग्रेजी शब्दों का। परन्तु इस शब्द को यहां स्थान देने से अर्थभ्रम हो सकता है और अन्य देशों की दृष्टि में इससे बहुत ही अर्थभ्रम होगा, क्योंकि इससे कोई परिचित नहीं है और इसलिये भी कि इन परिवर्तनों का महत्त्व समझने में काफी समय लगेगा। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे इस सम्बन्ध में कोई भ्रम नहीं है कि इस समय के प्रान्त और स्टेट के वर्णन में कोई अन्तर न होना चाहिये। दोनों के वर्णन में एकरूपता होनी चाहिये। प्रस्ताव यह है कि दोनों के लिये ''स्टेट'' शब्द काम में लाया जाये और यदि यह स्वीकार हो जाये, तो दूसरी सभा को ''हाउस ऑफ स्टेट्स'' कहा जाये।

एक और बात भी विचारणीय है। इस संशोधन से ऐसे कुछ अन्य सवाल भी उठ खड़े होते हैं, जिनके बारे में सभा में पर्याप्त मत विभिन्नता है। चाहे ये विवाद भाषा के सम्बन्ध में हों, या जो कुछ भी आप इन्हें कहना चाहें, परन्तु यदि हम इन्हें परोक्ष रूप से प्रविष्ट करें तो यह एक दुर्भाग्य की बात होगी। इनका सामना करने, इनको समझने और इनके सम्बन्ध में इनका ठीक-ठीक महत्त्व समझ कर निर्णय करने की आवश्यकता होगी। निस्संदेह यह धारणा बन गई है कि इस प्रकार छोटे-छोटे परिवर्तनों को करने से मुख्य प्रश्नों के बारे में, जो इस समय लोगों का मत है, उसमें कुछ अन्तर हो जायेगा। मेरे विचार से विधान पर विचार करते समय हमें इन बातों को न आने देना चाहिये। हमारा विधान एक वृहत् लेख है, जिसमें सिद्धान्तों का निरूपण किया गया है और हमारी राजनैतिक तथा आर्थिक व्यवस्था निश्चित की गई है। जहां तक हो सकता है, मैं इन प्रश्नों को नहीं उठाना चाहता, क्योंकि यद्यपि ये महत्त्वपूर्ण हैं, इनको हम विधान का मसौदा तैयार करते समय तय कर सकते थे। वरना सम्भावना इसकी है कि हम वैधानिक दृष्टि से इन अप्रासंगिक प्रश्नों पर, चाहे ये महत्त्वपूर्ण ही क्यों न हों, अपनी शक्ति तथा अपने समय को नष्ट करते रहेंगे और वास्तविक वैधानिक प्रश्नों को हल करने में हम अपनी शक्ति और समय न लगा सकेंगे। इसलिये मैं सभा से प्रार्थना करता हूं कि इन दो संशोधनों को स्वीकार न किया जाये और ''स्टेट'' शब्द को ही रहने दिया जाये।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः** मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

***उपाध्यक्षः** प्रस्ताव यह है किः

''अनुच्छेद 1 में जहां कहीं 'स्टेट' शब्द आया हो, उसको जगह 'प्रदेश' शब्द रखा जाये और इस परिवर्तन के फलस्वरूप सारे विधान के मसौदे में आवश्यक परिवर्तन किये जायें।''

मेरे विचार से ''नहीं'' वालों का मताधिक्य है।

**श्री एच.वी. कामतः** मैं मत लेने के लिये सभा के विभाजन की मांग करता हूं।

***उपाध्यक्षः** मुझे यह प्रतीत होता है कि ''नहीं'' वालों की बात रह गई है। मेरे लिये यह आवश्यक नहीं है कि मैं सभा-विभाजन की अनुमति दूं। मुझे इसका अधिकार है कि मैं इस प्रार्थना को स्वीकार न करूं। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे स्थिति पर विचार करें। मुझे स्पष्टतया यह प्रतीत होता है कि ''नहीं'' वालों का मताधिक्य है।

***माननीय श्री घनश्याम सिंह गुप्तः** मैं यह स्वीकार करता हूं कि ''नहीं'' वालों का मताधिक्य है।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरूः** क्या मैं यह सुझाव उपस्थित कर सकता हूं कि हम लोग प्रार्थना करने के बजाय अपने हाथ खड़े कर दें। इससे स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

***उपाध्यक्षः** क्या माननीय श्री घनश्यामसिंह गुप्त यह स्वीकार करते हैं कि ''नहीं'' वालों का मताधिक्य है?

***माननीय श्री घनश्याम सिंह गुप्तः** मैं इसे स्वीकार करता हूं कि ''नहीं'' वालों का मताधिक्य है।

*प्रस्ताव गिर गया।*

***माननीय श्री घनश्याम सिंह गुप्तः** मेरा एक औचित्य प्रश्न है। श्रीमान्, आपने कृपा करके मेरा संशोधन सभा के सामने रखा और वह गिर गया, परन्तु श्री कामत का प्रस्ताव सभा के सम्मुख यथाविधि रखा जाना चाहिये।

***उपाध्यक्षः** मुझे यह जान पड़ता है कि श्री कामत का संशोधन आपके संशोधन में आ जाता है। वे कुछ भागों में शब्द निष्कासन चाहते हैं परन्तु, आप सब जगह चाहते हैं।

***माननीय श्री घनश्याम सिंह गुप्तः** श्री कामत का संशोधन मेरे संशोधन से कम विस्तृत है। यदि सभा शतप्रतिशत के लिये राजी नहीं हुई है, तो वह पांच प्रतिशत के लिये राजी हो सकती है।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरूः** उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन को मतदान के लिये सभा के सम्मुख रखने में सम्भवतः कम समय लगेगा और यही उचित प्रणाली भी है कि यह मतदान के लिये सभा के सम्मुख रखा जाये।

***उपाध्यक्षः** प्रस्ताव यह है किः

''अनुच्छेद 1 के खण्ड (1) में 'यूनियन' शब्द के आगे 'फेडरल' शब्द और 'स्टेट्स' शब्द के स्थान में 'प्रदेशाज' शब्द रखा जाये।''

*प्रस्ताव गिर गया।*

***श्री एच.वी. कामतः** श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं किः

''अनुच्छेद 1 के खण्ड (1) में 'स्टेट्स' शब्द की जगह 'प्राविंसेज' शब्द रखा जाये।''

***श्री बी. दास** (उड़ीसा : जनरल): श्रीमान्, मेरा एक औचित्य प्रश्न है। चूंकि पहला संशोधन सभा ने अस्वीकार कर दिया है, इसलिये यह संशोधन व्यवस्था के विरुद्ध है।

***उपाध्यक्षः** हुआ केवल इतना ही है कि ''प्रदेश'' शब्द अस्वीकार कर दिया गया है।

***श्री एच.वी. कामतः** मेरे माननीय मित्र श्री बी. दास यह औचित्य प्रश्न रखने के लिये उठे थे कि यह संशोधन व्यवस्था के विरुद्ध है। जिस संशोधन को सभा ने अस्वीकार कर दिया, उसका आशय यह था कि ''स्टेट'' शब्द की जगह ''प्रदेश'' शब्द रखा जाये। परन्तु इससे यह संशोधन कि यदि सभा चाहे तो ''स्टेट'' शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रखा जाये, व्यवस्था के विरुद्ध नहीं होता। इसलिये मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है कि इस अनुच्छेद में और इस प्रसंग में मसौदे में जहां कहीं भी ''स्टेट'' शब्द आया है, उसकी जगह ''प्राविंस'' शब्द रखा जाये। जब मैंने ''प्रदेश'' शब्द के सम्बन्ध में अपना पहला संशोधन उपस्थित किया था, तो मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि मैं ''स्टेट'' शब्द को रखने के विरुद्ध क्यों हूं। उस समय सभा के सम्मुख जो तर्क मैंने उपस्थित किया था, उसे मैं दुहराना नहीं चाहता। मैं केवल यह कहकर उसका स्मरण कराना चाहता हूं कि ''स्टेट'' शब्द से यह प्रतीत होता है कि केवल नकल की गई है, क्योंकि इस शब्द को संयुक्त राज्य अमेरिका के विधान में स्थान दिया गया है। इसके अतिरिक्त ''स्टेट'' शब्द से एक दूषित भाव व्यक्त होता है, अर्थात् दुर्गन्ध आती है, क्योंकि यह मृतप्राय अंग्रेजी राज्य के अधीन देशी रियासतों से संलग्न रहा है। इसलिये किसी भी हालत में मैं सभा से यह कहूंगा कि ''स्टेट'' शब्द को निकाल ही देना चाहिये, चाहे इसके लिये हमें कितना ही मूल्य क्यों न चुकाना पड़े। यदि सभा की इस समय वह अच्छा नहीं है कि ''प्रदेश'' शब्द को स्वीकार किया जाये, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि ''प्राविंस'' शब्द को स्वीकार कर लिया जाये क्योंकि इस स्वीकार करने में कम दोष है। आज हमारी स्थिति यह है कि हमने प्राचीन देशी रियासतों का अन्त कर दिया है। क्या हमने हिमाचल प्रदेश और विंध्य प्रदेश ऐसे शब्दों को स्वीकार नहीं किया है? हम उन्हें भारतीय प्रान्तों के स्तर पर लाना चाहते हैं और इसलिये मेरा विचार है कि नई व्यवस्था में ''प्राविंस'' शब्द अधिक उपयुक्त होगा और इससे उन प्रदेशों के ढांचे का बोध होगा, जिन्हें कि हम स्थापित करना चाहते हैं। इसलिये श्रीमान्, मैं इस संशोधन को उपस्थित करता हूं और सभा से यह सिफारिश करता हूं कि इसे स्वीकार कर दिया जाये।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः** श्रीमान्, मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता हूं।

*(इस अवसर पर श्री हिम्मतसिंह के. महेश्वरी बोलने के लिये उठे।)*

***उपाध्यक्ष:** माननीय डा. अम्बेडकर भाषणों का उत्तर दे चुके हैं। इसलिये मुझे खेद है कि मैं इस प्रस्ताव पर अधिक वाद विवाद की आज्ञा नहीं दे सकता।

***पं. हृदयनाथ कुंजरू** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): श्रीमान्, सम्बन्धित सदस्य द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव के उपस्थित होने पर यदि आप डा. अम्बेडकर से यह पूछें कि वे उसे स्वीकार करते हैं या नहीं और उनका भाषण हो जाने के बाद यदि आप उस विषय पर किसी सदस्य को न बोलने दें, तो यह सभा के लिये बड़ी सख्ती होगी।

***उपाध्यक्ष:** मैं समझता हूं कि पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने मेरी स्थिति को ठीक-ठीक नहीं समझा है। मैं प्रत्येक सदस्य को हमेशा यथासम्भव सुविधा देने के लिये तैयार रहता हूं, जिसका प्रमाण मैंने पिछले दिनों में जो कुछ किया है, उससे अधिक मैं नहीं देना चाहता। इस समय हमारे पास बहुत कम समय है। श्री कामत द्वारा संशोधन उपस्थित होने के बाद मैं कुछ देर तक यह देखने के लिये रुका कि कोई सदस्य खड़े होंगे, परन्तु चूंकि कोई सदस्य खड़े नहीं हुये और विशेषतया जब मैंने यह देखा कि श्री कामत ने अपने पिछले ही तर्क को दुहराया है, मैंने यह सोचा कि डा. अम्बेडकर से मेरा यह प्रश्न पूछना कि वे उत्तर देना चाहते हैं या नहीं, ऐसी बात न होगी, जो सभा की इच्छा के विरुद्ध हो। यदि मैं सभा की इच्छा को न समझ पाया, तो मुझे इसका खेद है।

***पं. हृदयनाथ कुंजरू:** आपको इसका पूर्ण अधिकार है कि आप किसी ऐसे भाग पर वादानुवाद की आज्ञा न दें, जिसे आप साधारण समझें और जिसके सम्बन्ध में आप समझें कि काफी बहस हो चुकी है। आपको इसका अधिकार है कि आप बहस को समाप्त कर दें और मसौदे के प्रस्तावक महोदय से उत्तर देने के लिये कहें। यदि इस अधिकार को प्रयोग में लाते हुये आपने डा. अम्बेडकर से उत्तर देने के लिये कहा, तो यह कोई आपत्ति की बात नहीं है।

***उपाध्यक्ष:** अब मैं संशोधन पर मतदान लेता हैं। प्रस्ताव यह है कि:

> ''अनुच्छेद 1 के खण्ड (1) में 'स्टेट्स' शब्द की जगह 'प्राविंसेज' शब्द रखा जाये।"

*प्रस्ताव गिर गया।*

***उपाध्यक्ष:** संशोधन संख्या 108, श्री महावीर त्यागी।

***श्री एच.वी. कामतः** श्रीमान्, मैं विभाजन की मांग करता हूं।

***उपाध्यक्षः** आपने कुछ देर कर दी है।

***श्री महावीर त्यागी** (संयुक्त प्रांत : जनरल): श्रीमान्, जिन शब्दों का मेरे संशोधन में उल्लेख है, उन सभी को सम्मिलित करने के लिये मैं बहुत इच्छुक नहीं हूं। मैं भाषण देकर सभा का समय भी नष्ट नहीं करना चाहता। किन्तु मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं और इस उद्देश्य से यह संशोधन विधिवत् उपस्थित करता हूं:

> ''अनुच्छेद 1 के खण्ड (1) में 'स्टेट्स' शब्द की जगह 'Republican States and the sovereignty of the Union shall reside in the whole body of the people (गणतंत्रीय राज्य और संघ की सर्वसत्ता सारे लोकसमूह में सन्निहित होगी)' रखा जाये।''

विधान के मसौदे में मैं यह देखता हूं कि इसका कहीं भी वर्णन नहीं है कि सर्वसत्ता कहां स्थित रहेगी। यह स्पष्टतया नहीं बताया गया है कि सर्वसत्ता कहां स्थित है। मैं यह चाहता हूं कि इसका उल्लेख हो जाना चाहिये। यदि विधान के प्रस्तावक महोदय सभा के सम्मुख या तो प्रस्तावना के सम्बन्ध में या विधान के किसी अन्य अनुच्छेद के सम्बन्ध में इस आशय का संशोधन उपस्थित करें कि सर्वसत्ता सारे जनसमूह में सन्निहित होगी तो मुझे संतोष हो जायेगा। ''स्टेट'' शब्द का एक जगह एक अर्थ है और दूसरी जगह दूसरा अर्थ है। इसलिये यह कहना संतोषप्रद न होगा कि सर्वसत्ता ''स्टेटों'' में स्थित होनी चाहिये। माननीय प्रस्तावक महोदय का क्या सुझाव है? क्या सर्वसत्ता ''संघ'' में स्थित है या ''स्टेटों'' में? मसौदे से यह स्पष्ट नहीं होता है। इसलिये मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि निश्चित रूप से यह बता दिया जाये कि सर्वसत्ता कहां स्थित है, या भविष्य में कहां स्थित होगी।

मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। यदि हम यूनाइटेड किंगडम के परिवार में रहें या उससे सम्बद्ध रहे, तो सम्भवतः कानून की दृष्टि से सर्वसत्ता सम्राट में स्थित होगी। मैं देश को इस संकट से मुक्त करना चाहता हूं। मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कानून और व्यवहार की दृष्टि से सर्वसत्ता वास्तव में जनसाधारण में ही स्थित है।

***उपाध्यक्ष:** क्या मैं यह बता सकता हूं कि इस प्रकार का संशोधन प्रस्तावना के सम्बन्ध में ही उपस्थित किया जाना चाहिये?

***श्री महावीर त्यागी:** प्रस्तावना में कहीं भी इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। मैं यह चाहता हूं कि इसकी स्पष्ट परिभाषा हो जानी चाहिये। मुझे इस सम्बन्ध में विशेष ज्ञान नहीं है। मैं मसौदे के विशेषज्ञों से यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रस्तावना विधान की एक अंग होगी? क्या प्रस्तावना हमेशा कानून का उल्लंघन कर सकती है? मेरे विचार से ऐसा नहीं हो सकता है। मैं यह चाहता हूं कि विधान के किसी अनुच्छेद में सर्वसत्ता की परिभाषा कर दी जाये। प्रस्तावना में साधारणतया इसका उल्लेख किया गया है कि हम भारत को सर्वसत्ताधारी संघ का रूप दे रहे हैं। इससे मसौदा-समिति के मेरे मित्र इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि सर्वसत्ता ''लोगों'' में स्थित है। इससे मुझे संतोष नहीं होता। जो परिणाम समझा जाये हम उस पर निर्भर नहीं रह सकते। मैं इस पर जोर देता हूं कि विधान में ही सर्वसत्ता की परिभाषा कर देनी चाहिये। मैं यह चाहता हूं कि सर्वसत्ता देश के जनसाधारण में ही स्थित हो न कि ''स्टेट'' में या ''संघ'' में। ''स्टेट'' से केवल केन्द्र में एक प्रकार के सरकारी ढांचे का बोध हो सकता है या उसका अर्थ लोगों से भी हो सकता है या केवल संघ या एक या एक से अधिक राज्य हो सकता है। अब प्रान्त भी ''स्टेट'' कहे जायेंगे, इसलिये हमें भविष्य के लिये स्पष्ट शब्दों में यह परिभाषा कर देनी चाहिये कि सर्वसत्ता कहां स्थित है। मैं यह निवेदन करता हूं कि चीन के विधान में इसका उल्लेख है कि सर्वसत्ता जनसाधारण में स्थित है। हम अपने विधान में भी इसका उल्लेख कर सकते हैं। इसलिये मैं इस संशोधन को उपस्थित करता हूं।

***श्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीय** (संयुक्तराज्य ग्वालियर, इंदौर, मालवा : मध्य भारत): मैं एक भारतीय रियासत से यहां आया हूं। इस संशोधन में मेरी विशेष दिलचस्पी है और मैं यह चाहता हूं कि सभा इसको स्वीकार कर ले। इस विधान में भारतीय रियासतों का भी ''स्टेटों'' के नाम से उल्लेख किया गया है। हम नहीं चाहते कि राजप्रमुख और अन्य लोग वहां स्थायी रूप से बने रहें। निस्संदेह, चूंकि संधियों पर हस्ताक्षर हो गये हैं, इसलिये उन्हें कुछ समय के लिये तो रहना ही चाहिये, परन्तु विधान में हमें इसका उल्लेख कर देना चाहिये कि साधारण लोग भी प्रान्तों और रियासतों के प्रमुख हो सकते हैं। रिसायतों को प्रान्तों के स्तर पर लाने के लिये यह भी एक उपाय होगा। यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। स्टेट मिनिस्ट्री

इस प्रश्न पर अवश्य विचार कर रही होगी। इसलिये यह एक ऐसा प्रश्न है, जिसके सम्बन्ध में तत्काल निर्णय हो जाना चाहिये। विधान-निर्माण का कार्य समाप्त करने के पहले ही हमें रियासतों को प्रान्तों के स्तर पर लाने के लिये सभी प्रयत्न करने चाहियें। इस संशोधन से इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। सर्वसत्ता एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शक्ति है और यह बता दिया गया है कि चीन के विधान में इसका किस प्रकार उल्लेख है। इसलिये इस संशोधन को स्वीकार करने से कोई हानि न होगी। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे इसके पक्ष में मतदान दें।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, श्री त्यागी ने जो संशोधन उपस्थित किया है, वह बहुत महत्त्वपूर्ण है। मैंने भी इसी प्रकार के एक संशोधन (संख्या 189) की सूचना दी है और वह इस प्रकार है:

''भाग 1 के बाद निम्नलिखित भाग जोड़ा जाये और आगे के भागों की इस प्रविष्टि के फलस्वरूप पुनर्गणना की जाये:

भाग 1–ए

साधारण सिद्धान्त

6–संघ का नाम **भारत** होगा।

7–भारत सर्वसत्ताधारी, स्वतंत्र, जनतंत्रात्मक, समाजवादी गणराज्य होगा।

8–सरकार की सम्पूर्ण विधायिनी, अधिशासी तथा न्याय-सम्बन्धी शक्तियां लोगों से प्राप्त होंगी, जो केवल इस विधान द्वारा स्थापित सरकारी साधनों द्वारा या उनके अधिकार से प्रयोग में आयेंगी।

9–भारत का राष्ट्रीय झण्डा हाथ से काते और हाथ से बुने शुद्ध खादी कपड़े का तथा केसरी, सफेद और हरे रंगों से विभूषित तिरंगा झण्डा होगा, जिसकी बीच की पट्टी के मध्य में नीले रंग से अंकित अशोक का धर्मचक्र होगा और उसकी लम्बाई चौड़ाई 2 : 1 के अनुपात में होगी।

10–देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा होगी:

परन्तु संघ के प्रत्येक राज्य को हिन्दी के अतिरिक्त अपने प्रदेश में प्रयोग के लिये अपनी प्रादेशिक भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का अधिकार होगा।

[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना]

11—इस विधान के प्रयोग में आने के उपरान्त पांच वर्ष के अन्तर्काल में भारत की दूसरी सरकारी भाषा अंग्रेजी होगी।

12—भारत का राष्ट्रीय गान ''वन्देमातरम्'' होगा, जो दूसरी अनुसूची में उल्लिखित है।

(उल्लेख : आगे की अनुसूचियों की इस प्रविष्टि के फलस्वरूप पुनर्गणना की जाये।)

13—भारत के राज-चिह्न में एक सिल और धर्मचक्र के ऊपर तीन सिंह हैं, जैसे कि वे सारनाथ के अशोक-स्तम्भ पर स्थित हैं।

14—भारत की राजधानी दिल्ली का नगर है।''

मेरा अपना विचार यह है कि इस संशोधन को इस खण्ड में स्थान न देना चाहिये। एक अलग खण्ड ऐसा होना चाहिये, जिसमें मैंने जिस संशोधन की सूचना दी है, उसका आशय सन्निहित हो। अध्याय 2 में सर्वसत्ता की परिभाषा दी गई है। अपने संशोधन में मैंने यह सुझाव किया है कि इसको किस प्रकार रखना चाहिये। सरकार की सम्पूर्ण विधायिनी, अधिशासी तथा न्याय-सम्बन्धी शक्तियां लोगों से प्राप्त होंगी जो केवल इस विधान द्वारा स्थापित सरकारी साधनों द्वारा या उनके अधिकार से प्रयोग में आयेंगी। इस प्रकार सर्वसत्ता लोगों में स्थित होगी और राज्य की सम्पूर्ण विधायिनी, अधिशासी तथा न्याय सम्बन्धी शक्तियां लोगों की ही होंगी।

श्रीमान्, रियासतों के मेरे मित्र ने अभी बताया कि यह विषय बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम यहां यह न कहें कि सब अधिकारों के स्रोत लोग ही हैं, तो राजाओं के दैवी अधिकारों की विचारधारा चलती रहेगी। इसलिये यह एक महत्त्वपूर्ण बात है कि विधान में इसका उल्लेख होना चाहिये कि सर्वसत्ता लोगों की ही है। हमारे देश में रियासतें हमेशा बड़ी दुखदायी रही हैं और हमें आशा है कि हम शीघ्र ही इस दुःख से निवृत्त हो जायेंगे। मेरे विचार से इस विधान में इस प्रावधान को स्थान मिल जाना चाहिये। मैं अपने विद्वान मित्र डा. अम्बेडकर से प्रार्थना करता हूं कि जब वे इस संशोधन के सम्बन्ध में अपना उत्तर दें, तो उसमें यह भी कहें कि वे इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं। मुझे आशा है कि वे विधान में इसे यथोचित स्थान देंगे। आयरलैंड के विधान की तरह मेरे विचार से दूसरे अध्याय में संघ के नाम उसकी भाषा और दूसरी बातों के सम्बन्ध में निश्चित प्रावधान होने चाहियें। इसमें यह कहा जा सकता है कि सरकार की सम्पूर्ण

विधायिनी, अधिशासी तथा न्याय-सम्बन्धी शक्ति लोगों से प्राप्त है। मेरे विचार से आधारभूत बातों की दृष्टि से इस संशोधन का बड़ा महत्त्व है। इसलिये मुझे आशा है कि यह संशोधन बिना विचारे ठुकरा न दिया जायेगा और डा. अम्बेडकर इसे विधान में यथोचित स्थान देंगे।

***मौलाना हसरत मोहानी:** श्रीमान्, मैं इस कारण श्री महावीर त्यागी के संशोधन का समर्थन करने उठा हूं कि वह इस सभा के लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव की भावना के अनुरूप है। हमारे प्रधान मंत्री अभी से नहीं बल्कि पहले से ही बार-बार यह कहते आये हैं कि हमारा विधान लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुरूप होना चाहिये। उन्होंने कहा था—मैं छपी हुई किताब से पढ़ता हूं:

> ''हम लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव को बिल्कुल भी नहीं बदल रहे हैं। लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव एक ऐतिहासिक बात है और उस पर निर्धारित सभी सिद्धान्तों पर हम अटल हैं।''

मैं अपने मित्र डा. अम्बेडकर को याद दिलाना चाहूंगा कि जब विधान-निर्माण के लिये एक समिति बनाई गई थी, तो उस समय स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि उसे लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुरूप कार्य करना होगा। डा. अम्बेडकर कुछ भटक गये हैं। उन्होंने लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुरूप कार्य नहीं किया है, और मैं आप सब से प्रार्थना करता हूं कि आप देखें कि उन्होंने क्या किया है। लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुरूप विधान का मसौदा तैयार करने के बजाय वे चाहते हैं कि इस समय वे जिसका प्रस्ताव कर रहे हैं, उसके अनुरूप लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव हो। विधान का यह मसौदा परस्पर विरोधी बातों से भरा हुआ है और केवल रद्दी की टोकरी में फेंक देने के लायक है। उन्होंने मनमाने ढंग से काम किया है और इसलिये उनके सभी प्रयत्नों से केवल समय और शक्ति का ह्रास होता है।

***उपाध्यक्ष:** मौलाना साहेब, आप अपने को संशोधन तक ही सीमित कीजिये।

***मौलाना हसरत मोहानी:** मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं, क्योंकि यह लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव पर ही आधृत है। लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुरूप कार्य करने के बजाय डा. अम्बेडकर ने ''रिपब्लिक'' शब्द को बदल कर उसकी जगह ''स्टेट'' शब्द रख दिया है और ''इंडिपेण्डेण्ट'' शब्द की जगह ''डिमोक्रेटिक'' शब्द रख दिया है। इससे पता चलता है कि उनका दिमाग किस तरह काम कर

[मौलाना हसरत मोहानी]

रहा है। विधान के मसौदे से मुझे यह विश्वास हो जाता है कि वे एक एकात्मक भारतीय साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, जो फिर एक वृहत् ऐंग्लो-अमेरिकन साम्राज्य के अधीन हो जायेगा, जिसमें अमेरिका और उसके उपग्रह ब्रिटिश कामनवेल्थ तथा कुछ पश्चिमी यूरोप के देश होंगे।

***उपाध्यक्ष:** मैं आपसे फिर कहता हूं कि आप अपने को संशोधन तक ही सीमित रखिये।

***मौलाना हसरत मोहानी:** श्रीमान् मैं श्री त्यागी के संशोधन का समर्थन करता हूं और सारे विधान का विरोध करता हूं। यह हो सकता है कि डा. अम्बेडकर ने इस मसौदे को इसलिये तैयार किया कि कानून मंत्री की हैसियत से उनसे इसे तैयार करने को कहा गया है; परन्तु उन्होंने एक दूषित चीज तैयार की है और मेरे विचार से उन्होंने जो गलतियां की हैं, उनको उन्हें दूर करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

***श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका** (पश्चिमची बंगाल : जनरल): श्रीमान्, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। यह एक अनर्गल बात है कि जहां-जहां शब्दों को रखने का प्रयास किया जाये। विधान का मसौदा एक सम्पूर्ण ढांचे के रूप में है और उसकी विभिन्न धाराओं में इसकी परिभाषा की गई है कि सर्वसत्ता कहां स्थित है। अधिशासी-वर्ग और व्यवस्थापिका सभाओं की क्या शक्तियां हैं, इत्यादि। जहां-तहां शब्द रखने का प्रयास करना मेरे विचार से संकटापन्न होगा और यदि हम इस प्रकार के संशोधनों को स्वीकार करेंगे, तो विधान का सारा मसौदा उलट जायेगा और हम कह नहीं सकते कि हम किस स्थिति में होंगे। निस्संदेह यदि सिद्धान्त की दृष्टि से कोई बात कहनी हो, तो उसके लिये आज्ञा मिलनी चाहिये; परन्तु इस मसौदे में, जिस पर समिति में विचार हो गया है, शाब्दिक परिवर्तन करना केवल समय नष्ट करना होगा और हमें चाहिये कि हम इस प्रकार संशोधनों को स्वीकार न करें।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर:** मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। प्रस्तावना में हमने कहा है कि हम भारत के लोगों ने गम्भीरतापूर्वक निश्चय किया है कि हम अपने लिये विधान बनायें, इत्यादि। हम ही लोग है, जो यहां अपने लिये विधान बनाने के लिये एकत्रित हुये हैं। जब तक हम सर्वसत्ताधारी न हों, हम अपने लिये

विधान नहीं बना सकते। अभी तक इंग्लैंड की पार्लियामेंट विधान बनाती थी। यही बात कि हम विभिन्न विधान मण्डलों द्वारा चुने गये हैं और यहां विधान बनाने के लिये आये हैं, यह सिद्ध करती है, कि सर्वसत्ता लोगों में स्थित है।

***श्री महावीर त्यागी:** निस्संदेह हम यहां एक सर्वसत्ताधारी सभा के रूप में एकत्रित हैं। परन्तु भविष्य में क्या होगा? अंग्रेजों ने इस सर्वसत्ता को हमें सौंपा है। आप उसे लोगों को क्यों नहीं देते?

***उपाध्यक्ष:** आप उन्हें बोलने दीजिये।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर:** मैं श्री महावीर त्यागी के प्रश्न का उत्तर दूंगा। हम यहां प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर नहीं आये हैं, परन्तु हम यहां तीस करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और यहां अपने लिये विधान बनाने के लिये एकत्रित हुये हैं। यदि हम जन-साधारण की तरफ से विधान बनाने में समर्थ हैं, तो इससे यह सिद्ध होता है कि भविष्य में जब बड़े हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर सदस्य चुने जायेंगे, तो वह सभा और अधिक सच्चाई के साथ सर्वसत्ताधारी होगी। इससे यह सिद्ध होता है कि सर्वसत्ता लोगों में स्थित है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस खण्ड को जैसे का तैसा रहने देने में कोई कठिनाई न होगी और मेरे विचार से इस संशोधन में जिस प्रविष्टि का सुझाव किया गया है, वह अनावश्यक है। मैं सभा का ध्यान केवल अमेरिका के विधान की प्रस्तावना की ओर आकर्षित करता हूं, जिसमें कहा गया है:

> ''हम, संयुक्त राज्य के लोग अधिक सम्पूर्ण संघ स्थापित करने, न्याय की व्यवस्था करने तथा घरेलू शांति का आश्वासन देने के लिये...।''

इस विधान में कई अनुच्छेद हैं। बाद में विधान में संशोधन किये गये थे। अमेरिका के विधान निर्माताओं ने या उन लोगों ने, जिन्होंने बाद को विधान में संशोधन किये थे, कभी भी यह नहीं कहा कि विधान में कोई बात रह गई है या यह कि सर्वसत्ता उनमें स्थित है, लोगों में स्थित नहीं है। इसलिये यह अनावश्यक है। एक प्रकार का सन्देह उत्पन्न किया गया है और फिर उसे दूर करने के लिये एक संशोधन उपस्थित किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक कठिनाई और है। जो बातें दब गई हैं, उन्हें मैं दबे ही रहने देना चाहता हूं। जहां तक रियासतों का प्रश्न है कुछ रियासतों के नरेश सर्वसत्ता की मांग कर रहे हैं और हम उन्हें समाप्त करने के लिये प्रयत्नशील हैं उनमें से कई समाप्त कर दिये गये हैं और ये नरेश इन रियासतों में आ गये हैं। पहली अनुसूची के भाग 3 में किसी न किसी रूप में नरेश रियासतों से सम्बद्ध है। लोग अपने अधिकारों की मांग करने

[श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर]

लगे हैं और यही एक ऐसा कारण है, जिससे सारी बात समाप्त हो जायेगी। जैसा कि संशोधन में सुझाव किया गया है, मैं इस खण्ड को इस स्थान पर समाविष्ट नहीं होने देना चाहता हूं। यह काफी है कि यह बात प्रस्तावना तक ही सीमित रखी जाये और उसे चलने दिया जाये। हम सर्वसत्ताधारी है और इसी हैसियत से हम यहां एकत्रित हुये हैं और हम अपने लिये विधान बनायेंगे। एक भूत खड़ा करने और बाद में उसे परास्त करने से कोई लाभ न होगा। श्रीमान्, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

***श्री लोकनाथ मिश्रः** उपाध्यक्ष महोदय, इस सभा के एक माननीय सदस्य ने इस संशोधन का इस कारण विरोध किया है कि इसे स्वीकार करने से विधान का सारा ढांचा, यह सारी योजना बदल जायेगी। मेरे विचार से यह एक साहसपूर्ण वक्तव्य है और मैं इस प्रकार के वक्तव्य को स्वीकार नहीं करना चाहता। यदि विधान का ढांचा बदल जाता है, तो हमने इसकी तो प्रतिज्ञा नहीं की है कि वह नहीं बदला जायेगा और हम केवल उन्हीं बातों को स्वीकार करेंगे, जिससे वह न बदले। इसलिये मुझे यह वक्तव्य संकटापन्न प्रतीत होता है कि हम इसे इसलिये स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे विधान के मसौदे की सारी योजना बदल जाती है। यदि आवश्यकता हो, तो उसे बदलने ही के लिये हम यहां उपस्थित हैं। परोक्ष रूप से इसका अर्थ यह है कि इस विधान का आधार, इसकी योजना तथा इसका ढांचा इस प्रकार का है कि वह इस संशोधन में सन्निहित सिद्धान्त के प्रतिकूल है। यदि यह स्थिति है, तो वह मेरे विचार से और भी अधिक संकटापन्न है, क्योंकि इस संशोधन में स्पष्टतया केवल इतना ही कहा गया है कि भारत की सर्वसत्ता भारत के जनसाधारण में ही स्थित है।

अब मेरे एक मित्र ने अभी कहा कि वह वास्तव में भारत के लोगों में स्थित है और इसलिये यह संशोधन अनावश्यक है। मैं यह निवेदन करता हूं कि यह एक प्रकार से पाखण्डपूर्ण वक्तव्य है, क्योंकि मुझे स्मरण है कि डा. अम्बेडकर ने कहीं पर बोलते हुये यह कहा था कि सर्वसत्ता भारत सरकार में सन्निहित है; परन्तु मैं समझता हूं कि भारत सरकार और भारत के लोगों में अन्तर है। वे एक भी हो सकते हैं और भिन्न भी। यह हो सकता है कि भारत सरकार का एक अर्थ समझा जाये और भारत के लोगों का दूसरा अर्थ। एक दिन यही स्थिति थी। इसलिये हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि हमारी सर्वसत्ता कहां स्थित है। क्या वह भारत के लोगों में स्थित है? क्या वह मंत्रिमण्डल में स्थित है? क्या वह सरकार में स्थित है? क्या वह प्रधान में स्थित है या कहीं और स्थित है? इसलिये

मेरे विचार से इस कमी को हमेशा के लिये पूरा कर देने के लिये हमें यह घोषित कर देना चाहिये कि सर्वसत्ता भारत के प्रत्येक नागरिक में सन्निहित है। कम से कम इस उद्देश्य से यह संशोधन बहुत ही उपयुक्त है। मैं इस पर जोर नहीं देना चाहता कि इस संशोधन को स्वीकार करके इस जगह स्थान दे देना चाहिये, परन्तु यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि हमें यह सन्देह करने की आवश्यकता नहीं कि सर्वसत्ता भारत के प्रत्येक नागरिक में सन्निहित नहीं है। इसलिये मैं इस संशोधन की भावना का समर्थन करता हूं और यह दुहराना चाहता हूं कि वास्तव में भारत की सर्वसत्ता प्रत्येक नागरिक में सन्निहित है, चाहे वह कितना ही बड़ा हो या छोटा, पंडित हो या पंडित न हो, मूर्ख हो या बुद्धिमान। वह लोगों की ही होगी, उनमें से प्रत्येक की होगी और हमेशा के लिये उन्हीं की होगी।

***उपाध्यक्षः** अब मैं इस संशोधन पर मत लेता हूं।

***श्री महावीर त्यागीः** उपाध्यक्ष महोदय, मसौदा बनाने वाले विद्वान सदस्य महोदय ने जो कुछ कहा है, अर्थात् यह कि इस मसौदे के होते हुये भी सर्वसत्ता लोगों में ही सन्निहित है, उसको दृष्टि में रखते हुये मैं अपने संशोधन पर जोर नहीं देना चाहता। श्रीमान्, मुझे आशा है कि डा. अम्बेडकर इससे सहमत हैं कि इस मसौदे का यह अर्थ है कि सर्वसत्ता लोगों ही में सन्निहित है। इनका स्पष्टीकरण भविष्य में देखने के लिये सरकारी कागजात में दर्ज हो सकता है।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः** इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वह लोगों ही में सन्निहित है। मैं अपने मित्र से यह भी कह देना चाहता हूं कि प्रस्तावना पर विचार-विमर्श करते समय यदि इस प्रश्न को फिर उठाया जायेगा, तो मुझे किंचितमात्र भी आपत्ति न होगी।

***श्री महावीर त्यागीः** तो मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं।

*सभा की अनुमति से संशोधन वापिस ले लिया गया।*

***प्रो. के.टी. शाहः** उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रस्ताव है कि:

''अनुच्छेद 1 के खण्ड (1) में ''States'' शब्द के बाद ''equal inter se'' शब्द जोड़ दिये गयें।''

इस सभा से इस संशोधन को स्वीकार करने की सिफारिश करते हुये मैं मसौदा समिति के सभापति के प्रति, हमारे सामने विधान की रूपरेखा की एक नवीन व्याख्या

[प्रो. के.टी. शाह]

उपस्थित करने के लिये अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। कम से कम मुझे यह एक नवीन बात प्रतीत हुई कि विधान सरकार के विभिन्न अंगों तथा कार्यों का नियमन करने की एक व्यवस्था है और उसमें लोगों की किसी आकांक्षा को स्थान देना बहुत कुछ अप्रासंगिक होगा। मैं इस दृष्टिकोण के लिये कृतज्ञ हूं, क्योंकि भविष्य में अपने संशोधनों तथा भाषणों के सम्बन्ध में मैं इसे ध्यान में रखूंगा। परन्तु मैं यह कहूंगा कि क्योंकि निदेशक सिद्धान्तों के अध्याय की ओर संकेत किया गया है, इसलिये मैं डा. अम्बेडकर को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि मैंने भी उनको पढ़ा है; यद्यपि मैंने उन्हें उतनी गम्भीरता से या उतनी बार न पढ़ा हो, जितनी बार उन्होंने पढ़ा हो। मेरी सम्मति में निदेशक सिद्धान्त बहुत ही अस्पष्ट और ढीले-ढाले हैं और वास्तव में लोगों की आंखों के सामने पर्दा डालने के लिये धोखे की पट्टी है और उसे लोगों को ऐसी बातें समझाने के लिये काम में लाया जा सकता है, जो सम्भवत: मसौदा तैयार करने वालों के मस्तिष्क में भी न थीं। जब ये मामले फैसले के लिये या मध्यस्थता के लिये न्यायालयों में लाये जायेंगे, तो यह हो सकता है कि इन खण्डों का वह अर्थ न लगाया जाये, जो इनसे लोग समझते हैं।

इस संशोधन-विशेष का प्रस्ताव करते हुये, श्रीमान्, मुझे वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में कोई भ्रम नहीं है। आज दिन ''स्टेटों'' में चाहे वे प्रान्त हों या रियासतें जो इस समय ''स्टेट'' कहीं जाती हैं, मैं समझता हूं कि आबादी अथवा अवसरों की, क्षेत्र अथवा साधनों की समानता है।

परन्तु मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि इस समय राजनैतिक स्थिति की समानता नहीं है और हमें ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिये प्रयत्नशील होना है कि वे हमारे बीच में हमारे संधान के सदस्य होने के नाते वास्तविक समानता का पद प्राप्त करें। यदि इस संघ को, जैसा कि हमें आश्वासन दिया गया है, सच्चा संधान होना है; यदि इस संघ को, जैसा कि हमसे बार-बार वादा किया गया है, एक जनतंत्रात्मक संधान होना है, तो मेरा सुझाव यह है कि यह बहुत महत्त्व की बात है कि संघ के अंगों को बराबरी का पद मिलना चाहिये।

मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि क्षेत्र, जनसंख्या, मालगुजारी या साधन अथवा औद्योगिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी उन्नति के सम्बन्ध में न यह समता है और न इसकी आवश्यकता ही है। हम सभी जानते हैं कि दुर्भाग्य से इस देश के राजनैतिक या भौगोलिक दृष्टि से निश्चित किये हुये विभिन्न भाग समान रूप से उन्नत नहीं हैं। संघ का पहला कर्त्तव्य यह होना चाहिये कि वे लोग,

जो बिना अपने किसी दोष के ही पिछड़े हुये हैं, पिछड़े हुए ही न रहें और वे लोग जो कुछ आकस्मिक कारणों से अन्य लोगों से लाभप्रद तथा उन्नत स्थिति में हैं, इतने स्वार्थसेवी न रहें कि वे अपनी स्थिति को तो बनाये रहें और अन्य लोगों को पिछड़ा हुआ रखें। यदि देश की प्रगति के साथ कोई भाग आगे नहीं बढ़ सकता है, तो न तो देश की वास्तविक उन्नति हो सकती है और न हम देश को सुसम्पन्न और समुन्नत बनाने के अपने आदर्शों को ही कार्यान्वित कर सकते हैं। इस कारण मैं यह सुझाव उपस्थित कर रहा हूं कि हमें इसी समय और इसी जगह अपनी इस इच्छा को विधान में प्रकट कर देना चाहिये कि जब विधान यथेष्ट रूप से बन जाये और व्यवहार में आ जाये, तब कम से कम इस संघ में उसके अंग राजनैतिक दृष्टि से एक समान समझे जाये। राजनैतिक दृष्टि से समान का अर्थ मेरी सम्मति में यह है कि यदि किसी अंग को, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, किसी प्रकार का कर लगाने का अधिकार हो, तो अन्य अंगों को भी, चाहे वे कितने ही छोटे क्यों न हों, यह अधिकार अवश्य प्राप्त होना चाहिये। यदि किसी अंग को अपनी पुलिस रखने और उससे काम लेने का अधिकार हो, तो अन्य अंगों को भी यह अधिकार अवश्य प्राप्त होना चाहिये। यदि किसी अंग को अपनी ही सेना रखने का अधिकार हो, तो अन्य अंगों को भी यह अधिकार प्राप्त हो। ''स्टेट्स'' की तुलनात्मक दृष्टि से समानता का अर्थ मैं यही समझता हूं और इसलिये इस समय जिन क्षेत्रों को प्रान्त कहा जाता है और जिन क्षेत्रों को रियासत कहा जाता है, इस अन्तर को और जो रियासतें संघ में समाविष्ट हो गई हैं, या जो उसमें सम्मिलित हुई हैं, उनके बीच में अन्तर को यथाशीघ्र समाप्त करना होगा, चाहे वर्तमान स्थिति में इसे कितने ही दुर्भाग्य की बात क्यों न समझी जाये।

केवल यही एक कारण नहीं है, जिसको दृष्टि में रखकर सभा के सामने मैंने यह सुझाव रखा है। मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जब भारतीय संघ ग्राम-पंचायतों का एक संगठन हो जायेगा, जो सहकारी रिपब्लिकों के रूप में आपस में गुंथी होंगी और जो अपने साधनों की ही उन्नति के लिये नहीं, बल्कि सारे देश की उन्नति के लिये संगठित होंगी। संघ के इस भावी रूप को ध्यान में रखकर, उसके अंगों के इस रूप में स्थान तथा उनकी संभाव्य विकास-शक्ति को ध्यान में रख कर मेरा यह विचार बना है कि यदि किसी संघांग को दूसरों की अपेक्षा राजनैतिक अथवा सामाजिक दृष्टि से हेय समझा गया, तो इस भावी रूप के बनने में पर्याप्त बाधा होगी। यदि यह समझा जाये कि कुछ ही अंग नेतृत्व करते रहें और अन्य अंगों के भाग्य में यह लिखा मान लिया जाये कि उन्हें अनुयायी ही बने रहना है, तो मैं फिर कहूंगा कि इससे देश बड़ी विपत्ति में पड़ जायेगा।

[प्रो. के.टी. शाह]

जैसे हमने यह संकल्प कर लिया है और इससे सहमत हो गये हैं कि हम आपस में कानून की दृष्टि से बराबर नागरिक या बराबर व्यक्ति समझे जायेंगे और जैसे हमने इसका भी विचार किया है कि इस देश के वैयक्तिक जीवन में से धर्म और जाति जन्य विभेदों का लोप कर दिया जायेगा; इसी प्रकार, मेरा निवेदन है कि जितनी जल्दी हम इसका प्रबन्ध कर सकें, उतनी जल्दी ही हम इस देश में एक समान प्रदेश बना दें, एक संधान के एक समान अंग बना दें। इनमें से प्रत्येक अंग अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति तथा अपने साधनों की उन्नति के लिये आतुर हो, सशक्त हो और सुसम्पन्न हो; तथा उनमें से प्रत्येक सारे देश को शक्तिशाली तथा उन्नत बनाने के हेतु यथाशक्ति सहयोग प्रदान करने के लिये इच्छुक हो। इस देश के कई भाग निस्संदेह ऐसे हैं, जो सभी प्रकार की भौतिक और नैतिक उन्नति की दृष्टि से पिछड़े हुये हैं। उन्हीं के सम्बन्ध में मैं इस पर जोर देना आवश्यक समझता हूं कि यदि वे आज एक समान नहीं हैं, तो उन्हें शीघ्रातिशीघ्र एक समान बना दिया जाये।

इसी कारण इसके पहले प्रत्येक संघांग को गणतंत्रात्मक बनाने के लिये जो प्रस्ताव किया गया था, उसका मैं पूर्णरूप से हार्दिक समर्थन करता हूं। ये सब अवशेष, आर्थिक व्यवस्था की ये सब अनर्गलताएं और इतिहास की ये सब असामयिक बातें, जो तथाकथित नरेशों में सन्निहित हैं, समाप्त हो जानी चाहियें। जब हम इन निरंकुश तथा धनिक शासकों से छुटकारा पा सकेंगे, तभी हम एक मानवी और तर्कयुक्त विधान का निर्माण कर सकेंगे और हमारे महान उपदेशक ने जीवन का जो आदर्श हमारे सामने रखा है, उसे प्राप्त कर सकेंगे।

इसी कारण मैंने विधान के एक अन्य भाग के सम्बन्ध में इसी आशय का एक संशोधन रखा है। श्रीमान्, मुझे आशा है कि कम से कम अब भारतीय संघ में ऐसे गांव या गांवों के समूह होंगे, जिनमें स्वायत्त शासन तथा गणतंत्र होगा और यदि आवश्यक हो, तो उन्हें अपने पड़ोसियों से सहयोग करने का अधिकार होगा, ताकि उनके संयुक्त और सामूहिक प्रयत्नों के फलस्वरूप अभी हाल ही में अपने राजनैतिक और आर्थिक दासत्व से मुक्त हुये भारतीय लोग संसार के राष्ट्रों के बीच अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकें और मानवता की उन्नति में प्रभावपूर्ण ढंग से अपना योग दे सकें।

मैं इस सभा से सिफारिश करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाये।

***श्री एच.वी. कामतः** उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र प्रो. शाह के संशोधन का समर्थन करने के लिये उठा हूं। इसको देखते हुये कि इस सभा ने ''संघ'' शब्द की जगह 'संधान'' शब्द स्वीकार नहीं किया है, मेरे विचार से रियासतों की प्रस्थिति की परिभाषा करना आवश्यक है। जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रान्त या रियासतें या चीफ कमिश्नरों के प्रान्त एक समान नहीं हैं। इसलिये स्पष्टता, यथार्थबोध और निश्चित वैधानिक शब्दावली की दृष्टि से यह आवश्यक है कि हम रियासतों के परस्पर सम्बन्ध तथा प्रस्थिति की परिभाषा करें। इसलिये मेरे विचार से मेरे मित्र प्रो. शाह का संशोधन बहुत ही उपयुक्त है। इस प्रकार के विधान में, जिसका कि वास्तव में एक संधानीय ढांचा है, जैसा कि पृष्ठ 2 के नीचे लिखे हुये लेख से प्रकट होता है, कोई रियासत किसी अन्य रियासत की अपेक्षा श्रेष्ठप्रतिष्ठ अथवा निम्नप्रतिष्ठ न होनी चाहिये। कोई भी रियासत ऐसी न होनी चाहिये, जो समान रियासतों में सबसे अग्रगण्य समझी जाये। भविष्य की वैधानिक रूपरेखा में हमें इस प्रकार की बातों को स्थान न देना चाहिये। प्रत्यक्षतः हमारे लिये यह निश्चित करना आवश्यक है कि सभी रियासतें आपस में एक समान है। सभी राज्यों की प्रस्थिति एक समान ही होनी चाहिये। यदि कोई राज्य या सरकार या व्यवस्था श्रेष्ठ समझी जाये, तो वह संघ-सरकार ही होनी चाहिये। अर्थात् जहां तक भारत का सम्बन्ध है, यदि मुझे इन शब्दों का प्रयोग करने दिया जाये, वह श्रेष्ठ राज्य या सर्वश्रेष्ठ राज्य समझा जाये। जहां तक रियासतों का सम्बन्ध है वे आपस में बिल्कुल एक समान समझी जायें। इसलिये मैं अपने मित्र प्रो. शाह के इस संशोधन का समर्थन करता हूं कि भारत समान राज्यों का एक संघ होगा।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगरः** श्रीमान्, मैं न तो प्रस्तावक महोदय को समझ पाया हूं और न श्री कामत को, जिन्होंने उनका समर्थन किया है। यदि हम इस संशोधन को स्वीकार करें, तो भारत ऐसे राज्यों का संघ होगा जो आपस में एक समान होंगे। यह समानता क्या है? क्या यह अधिकार-सीमा अथवा क्षेत्र अथवा जनसंख्या अथवा आर्थिक साधनों के सम्बन्ध में है? वे किस प्रकार एक समान होने चाहियें?

***एक माननीय सदस्यः** राज्य।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगरः** राज्य क्या है? जहां तक प्रतिनिधित्व का सम्बन्ध है, पहली अनुसूची के भाग 1 में उल्लिखित कई राज्य एक समान हैं; उनके बीच में कोई अन्तर नहीं है। जहां तक पहली अनुसूची के भाग 3 में उल्लिखित राज्यों का सम्बन्ध है, उनको समझौतों के आधार पर सम्मिलित किया गया

[श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर]

है। हमने इन समझौतों को स्वीकार किया है और जब तक हम इन समझौतों को रद्द नहीं कर देते, अथवा भिन्न प्रकार के समझौते नहीं करते, हम उन्हें एक समान नहीं बना सकते। अपने बीच में भी प्रथम अनुसूची के भाग 1 में समाविष्ट प्रान्तों या राज्यों के सम्बन्ध में इस प्रकार की समानता नहीं हो सकती, जिसका कि प्रस्ताव है। यह एक बहुत ही अस्पष्ट संशोधन है। जहां तक रियासतों का सम्बन्ध है, जनसंख्या के आधार पर नीचे की तथा ऊपर की दोनों सभाओं में उनका प्रतिनिधित्व है। इसलिये यह संशोधन न तो समझ में आने वाला है और न स्पष्ट और व्यावहारिक ही है और इसलिये इसे स्वीकार न करना चाहिये।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

***उपाध्यक्ष:** मैं इस संशोधन को मतदान के लिये उपस्थित करता हूं।

*संशोधन गिर गया।*

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** (पश्चिमी बंगाल : मुस्लिम): श्रीमान्, मैं यह उपस्थित करता हूं कि:

''अनुच्छेद 1 के खण्ड (1) के अन्त में निम्नलिखित शब्द रखे जाये: 'and shall be known as the United States of India (और भारत का संयुक्त राज्य कहा जायेगा)' ''

श्रीमान्, इस संशोधन के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता। इसका उद्देश्य संघ को अधिक विस्तृत, गम्भीर और कर्णप्रिय नाम देना है। यदि इसके लिये किसी दृष्टान्त की आवश्यकता है, तो हमारे सम्मुख ''संयुक्त राज्य अमेरिका'' का दृष्टान्त है। मेरा यह निवेदन है, कि पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध के बीच संतुलन की दृष्टि में हमें इस पदसंहति को भारत के लिये प्रयुक्त करना चाहिये। भारत पूर्व का अग्रगामी देश है और हमें इसका ऐसा नाम रखना चाहिये, जो गौरवपूर्ण हो। जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं, इस संशोधन के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं हो सकता और मैं सभा से कहूंगा कि इसकी उपयुक्तता की दृष्टि से इस पर विचार किया जाये।

दूसरा संशोधन इसी का विकल्प है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

''अनुच्छेद 1 के खण्ड (1) के अन्त में निम्नलिखित शब्द रखे जायें: 'and shall be known as the Union of India (और भारत का संघ कहा जायेगा)' ''

मेरा एक और संशोधन है, और वह इस प्रकार है। उसे मैं उपस्थित करता हूं:

''अनुच्छेद 1 के खण्ड (1) के अन्त में निम्नलिखित शब्द रखे जायें: 'and shall be known as the Indian Union (और भारतीय संघ कहा जायेगा)' ''

श्रीमान्, मेरा यह निवेदन है कि ये तीन विकल्प हैं। मैं पहले के पक्ष में हूं, परन्तु यह सभा पर ही निर्भर है कि वह इसके बारे में क्या सोचे।

***श्री एच.वी. कामत:** श्रीमान्, मैं संशोधन संख्या 110 और 112 का विरोध करने के लिये उठा हूं। जहां तक संशोधन संख्या 110 का सम्बन्ध है, मेरे मित्र ने संयुक्त राज्य अमेरिका का दृष्टान्त देकर जो तर्क उपस्थित किया है, वही मेरे विचार से इसे अस्वीकार करने के लिये पर्याप्त तर्क है। उन्होंने कहा था कि पूर्व और पश्चिम का मिलन होना चाहिये या इसी प्रकार के कुछ शब्द कहे थे। मैं निस्संदेह सामंजस्य के पक्ष में हूं और चाहता हूं कि पूर्व और पश्चिम का सम्मिश्रण हो जाये, परन्तु मैं सांकर्य की बाहुल्यता नहीं चाहता। मेरे माननीय मित्र ने सभा के सम्मुख जो संशोधन उपस्थित किया है, उससे पूर्व और पश्चिम के सम्मिलन से उद्भूत सांकर्य की ही उन्नति होगी। इस समय जब कि हम तटस्थ वैदशिक नीति का अनुसरण कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि कोई भी हमें संदेह की दृष्टि से देखे। हम इस सभा में इस प्रकार का कोई भी संकेत नहीं देना चाहते कि हम सोवियत रूस अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका की नकल करने जा रहे हैं। जहां तक सोवियत रूस का सम्बन्ध है, उसका इस विधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और जहां तक संयुक्त राज्य अमेरिका का सम्बन्ध है, इस संशोधन से यही ज्ञात होगा कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के विधान की नकल कर रहे हैं। श्रीमान् ''shall be known as the United States of India (भारत का संयुक्त राज्य कहा जायेगा,)'' शब्दों को जोड़ने के लिये जो संशोधन हैं, उसका मैं विरोध करता हूं।

जहां तक संशोधन संख्या 111 का सम्बन्ध है, मैं उस संशोधन का समर्थन करता हूं क्योंकि उससे हम उस धृणित शब्द ''स्टेट'' को निकाल सकेंगे। अभी सभा ने इस आशय के संशोधन को अस्वीकार कर दिया और मैं नहीं चाहता कि भारतीय संघ की रूपरेखा का वर्णन करते समय इसको अप्रत्यक्ष रूप से विधान में स्थान

[श्री एच.वी. कामत]

दिया जाये और इसीलिये मैं अपने मित्र मि. नजीरुद्दीन अहमद के इस संशोधन का समर्थन करता हूं कि भारत को 'भारत का संघ' कहा जाये।

संशोधन संख्या 112 के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जब हम ''भारत का संघ'' शब्दों को स्वीकार करते हैं, तो फिर तीसरे संशोधन की आवश्यकता नहीं रह जाती। मेरे विचार से भाषा, ध्वनि और कर्णमाधुर्य की दृष्टि से ''Union of India (भारत का संघ)'' शब्द ''Indian Union (भारतीय संघ)" शब्दों से उत्तम हैं। इसलिये 110वें और 112वें संशोधनों का मैं विरोध करता हूं और 111वें संशोधन का समर्थन करता हूं।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः** श्रीमान्, मैं इन सभी संशोधनों का विरोध करता हूं। जहां तक पहले संशोधन का सम्बन्ध है, जिसका उद्देश्य यह है कि ''India (भारत)'' को ''United States of India (भारत का संयुक्त राज्य)'' कहा जाये। मेरे मित्र श्री कामत ने जो बातें कहीं, वह बहुत ही तर्कयुक्त हैं और मैं उन्हें सहर्ष स्वीकार करता हूं। मैं इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कर चुका हूं कि मैंने ''Union (संघ)'' शब्द का प्रयोग क्यों किया और ''Federation (संधान)'' शब्द को क्यों छोड़ दिया।

दूसरे संशोधन के सम्बन्ध में, जिसका उद्देश्य यह है कि ''India (भारत)'' को ''Union of India (भारत का संघ)'' कहा जाये मैं फिर यह कहूंगा यह अनावश्यक है, क्योंकि सदा से हमारा उद्देश्य यही रहा है कि इस देश को ''India (भारत)'' कहा जाये और उसके नाम से हमने यह प्रकट नही होने दिया है कि संघांगों के संघ से किस प्रकार के सम्बन्ध हैं। पिछले कई वर्षों से इतिहास में यह देश ''India (भारत)'' ही के नाम से कहा जाता रहा है। संयुक्त राष्ट्र संगठन (यू.एन.ओ.) के सदस्य के नाते भी यह देश ''India (भारत)'' ही कहा जाता है और सभी समझोतों पर इसी नाम से हस्ताक्षर होते हैं। मेरे विचार से देश के नाम में इसका संकेत न होना चाहिये कि उसके अंग किस प्रकार के हैं। इसलिये मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं और इसकी पुष्टि करता हूं कि जहां तक इन संशोधनों का सम्बन्ध है, विधान के मसौदे में जिस प्रकार का प्रावधान है, वह बिल्कुल ठीक है।

***उपाध्यक्षः** अब मैं प्रत्येक संशोधन पर मत लेता हूं।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः** श्रीमान्, अपने संशोधनों को वापस लेने के लिये मैं सभा की अनुमति चाहता हूं।

*सभा का अनुमति से संशोधन वापस ले लिये गये।*

***उपाध्यक्षः** संशोधन संख्या 113

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः** मैं 113वें संशोधन को नहीं उपस्थित कर रहा हूं। परन्तु मैं 114वें संशोधन को उपस्थित करता हूं। श्रीमान्, मैं उपस्थित करता हूं कि:

''अनुच्छेद 1 के खण्ड (2) के आरम्भ से ''The'' शब्द निकाल दिया जाये।''

श्रीमान्, इस भाग में वास्तव में ''The States (दी स्टेट्स)'' शब्दों की परिभाषा करने का प्रयास किया गया है। मैं यह निवेदन करता हूं कि ''The (दी)'' शब्द डेफनिट आर्टिकल है और वह किसी नाम या संज्ञा का भाग नहीं है। यद्यपि यह शब्द इस प्रसंग में प्रयुक्त हुआ है, परन्तु यह अन्य पदसंहति के साथ भी आया है जैसे ''एक राज्य'', ''कोई राज्य'', ''प्रत्येक राज्य'' सभी प्रकार के राज्यों के अर्थ में।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः** श्रीमान्, मैं एक औचित्य प्रश्न करने के लिये उठा हूं। मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि यह संशोधन ही नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में मे साहब की लिखी हुई पुस्तक ''पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस'' से एतद्सम्बन्धी निर्देश खोज रहा हूं, परन्तु उसके मिलने से पहले ही मैं इस प्रश्न को उठाना चाहता हूं। यदि मेरे मित्र मुझे क्षमा करें, तो मैं यह कहूंगा कि उन्हें तमाम तरह के संशोधनों को उपस्थित करने की आदत पड़ गई है, जिनका उद्देश्य यही होता है कि एक कॉमा एक जगह लगा दिया जाये या दूसरी जगह से निकाल दिया जाये, इत्यादि। मेरे विचार से इस प्रकार के प्रस्तावों को हमें आरम्भ में ही समाप्त कर देना चाहिये।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः** यदि स्वतंत्रता के आरम्भकाल में ही मुझे इस प्रकार रोक दिया जाता है, तो मैं चुप हो जाऊंगा और उपाध्यक्ष महोदय के निर्णय को मान लूंगा।

***उपाध्यक्षः** आप इस औचित्य प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं?

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** इस औचित्य प्रश्न का उत्तर मेरी ओर से यह है। मैं इस अनुच्छेद से ''The (दी)'' शब्द निकालना चाहता हूं, इसलिये मेरा प्रस्ताव एक संशोधन है। निस्संदेह यह एक मसौदा-सम्बन्धी संशोधन है। इसका इस कारण विरोध किया जा सकता है कि यह अनावश्यक, तर्क विरुद्ध तथा निरुद्देश्य, इत्यादि है। परन्तु डा. अम्बेडकर का यह कहना ठीक नहीं है कि यह संशोधन ही नहीं है। इसको इस कारण नियम विरुद्ध नहीं घोषित किया जा सकता कि यह संशोधन ही नहीं है।

विराम इत्यादि के सम्बन्ध में संशोधन उपस्थित करने की मेरी आदत के बारे में मेरे माननीय मित्र ने जो बातें कहीं, उनके सम्बन्ध में मैं उन्हें तथा इस सभा को सहर्ष यह सूचित करना चाहता हूं कि जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है, मैंने उस आदत से काम नहीं लिया है। (*हंसी*)

***उपाध्यक्ष:** आप कहते हैं कि यह एक मसौदा-सम्बन्धी संशोधन है। क्या हम इसे मसौदा-समिति और उसके सभापति पर नहीं छोड़ सकते कि वे तीसरी बार जब अवलोकन हो, तो उस समय वे इसकी ओर ध्यान दें? मुझे विश्वास है कि यदि इन संशोधनों में कोई सार होगा, तो वे इन्हें स्वीकार करेंगे।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** उस दशा में यह सभा उन संशोधनों पर निर्णय न करेगी, बल्कि मसौदा-समिति निर्णय करेगी। मसौदा-समिति के वक्ता महोदय अपने विचार प्रकट कर चुके हैं; इसलिये मसौदा-समिति पर इसे छोड़ना मेरे संशोधन को वापस लेने के समान ही होगा। इसलिये मैं फिर यह निवेदन करता हूं कि ''the (दी)'' शब्द नाम का भाग नहीं है।

***उपाध्यक्ष:** मैं इस विषय पर डा. अम्बेडकर की सम्मति की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान्, मैं समझ नहीं पाया कि माननीय सदस्य महोदय को ''The (दी)'' शब्द से क्यों आपत्ति है। ''The (दी)'' डेफनिट आर्टिकल है और चूंकि हम अनुसूची में उल्लिखित राज्यों की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिये यह बहुत ही आवश्यक है। हम साधारणतया राज्यों की और संकेत नहीं कर रहे हैं, किन्तु अनुसूची में उल्लिखित कुछ विशेष राज्यों की ओर संकेत

कर रहे हैं। इसलिये डेफनिट आर्टिकल ''The (दी)'' आवश्यक है। उसका संकेत अनुसूची उल्लिखित विशेष राज्यों की ओर है।

इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भारतीय के लिये, मेरा मतलब अपने ही लिये है, यह समझ लेना ठीक नहीं कि उसका अंग्रेजी भाषा पर पूर्ण अधिकार है और उसका निश्चयात्मक रूप से इस पर भी जोर देना ठीक नहीं कि इस जगह एक कॉमा आवश्यक है, उस जगह एक सेमीकोलन आवश्यक है; यहां आर्टिकल 'ए' रखना उचित होगा और वहां आर्टिकल 'दी' इत्यादि। परन्तु यदि मेरे मित्र अपने को उसी प्रकार अधिकृत समझते हैं, जैसे कि अंग्रेजी भाषा के व्याकरणाचार्य, तो मैं उनका ध्यान आस्ट्रेलिया के विधान की ओर आकर्षित करता हूं, जिससे कि हमने ये शब्द लिये हैं और जिसमें 'दी' आर्टिकल प्रयुक्त है। इसलिये अपने तर्क की पुष्टि के लिये मैं आस्ट्रेलिया के विधान का प्रमाण देता हूं, जिसके बारे में हम यह मान सकते हैं कि अच्छे मसौदा बनाने वालों ने उसका मसौदा तैयार किया था, जिनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था और जिन पर हम भाषा के सम्बन्ध में त्रुटि करने का दोष नहीं लगा सकते।

***उपाध्यक्षः** मैं संशोधन को मतदान के लिये उपस्थित करता हूं।

*संशोधन गिर गया।*

***उपाध्यक्षः** संशोधन संख्या 119, मि. नजीरुद्दीन अहमद।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः** श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि:

''अनुच्छेद 1 के खण्ड (3) के उपखण्ड (सी) में 'as may' शब्दों के बाद 'hereafter' शब्द रखा जाये।''

श्रीमान्, मैंने इस संशोधन को उपस्थित तो कर दिया है, परन्तु मैं इस सम्बन्ध में सशंक हूं कि कहीं मसौदा-समिति के माननीय सभापति रुष्ट न हो जाये। परन्तु मैं आदरपूर्वक यह निवेदन करता हूं कि सदस्यों के ध्यान में जो भी बातें आयें, उन्हें उनको सभा के सम्मुख रखना चाहिये और उन पर उसकी सम्मति लेनी चाहिये। यदि मैंने किसी सदस्य को रुष्ट किया है, तो...

***उपाध्यक्षः** किसी को रुष्ट करने का प्रश्न नहीं उठता।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** श्रीमान् मेरा निवेदन यह है कि प्रसंग से ''hereafter'' शब्द से यह बोध होता है कि इसके बाद जो रियासतें अवाप्त की जायेंगी इसलिये 'hereafter' शब्द उपयुक्त होगा और मैं सभा से यह निवेदन करता हूं कि इस शब्द की प्रवेष्टि पर विचार किया जाये।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** मैं यह कहूंगा कि यह बिल्कुल अनावश्यक है और मैं इसका विरोध करता हूं।

***उपाध्यक्ष:** मैं संशोधन को मतदान के लिये उपस्थित करता हूं।

*संशोधन गिर गया।*

***उपाध्यक्ष:** मुझे ज्ञात हुआ है कि कल बैंक की छुट्टी है। इसलिये हम इस पर आगे विचार बुधवार के दिन दस बजे से करेंगे। हम संशोधन संख्या 126 से आरम्भ करेंगे।

*इसके उपरान्त सभा बुधवार, 17 नवम्बर सन् 1948 ई. के प्रात: 10 बजे तक के लिये स्थगित हो गई।*

---